


तलाश

बूढ़े -4



**लोकतंत्र सम्भव नहीं है -
संविधान - अब वैधानिक नहीं है।
न्यायालय न्याय की जगह नहीं है।**

प्रो. (डॉ०) विश्वेन्द्र कुमार सिन्हा

समर्पण 2026



उन गुड्डे एवं गुड़ियों को -
जो दिलोजान से प्यार किये जाने पर जीवन्त हो उठेंगे।

तलाश के लोग

तलाश एक आन्दोलन

आपसे मुखातिव !

ये सिर्फ बूंदें हैं - एक दो पड़ जाने से ध्यान भी नहीं जायेगा, बहुत सारे मिलकर आपको भिंगो दे सकते हैं या फिर यूँ ही बह जायेंगे।

बूंदे क्षणिक हैं, कुछ सामयिक जो समय के साथ अप्रासंगिक हो जायेंगे, कुछ दीर्घकालिक है, कुछ शाश्वत होने की तरफ हैं, कुछ अत्यन्त व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हैं, कुछ अनुभवगम्य, कुछ अन्य महानुभावों की समझ से प्रेरित (उनसे सविनय याचना के साथ) !

बूंदे जो इकाई है सागर की।

तलाश

- ➡ गलत को गलत कहें
- ➡ अच्छा को अच्छा कहें
- ➡ अपनी आमदनी वाजिब तरीके से प्रतिदिन बढ़ाएं
- ➡ रचनात्मक सामूहिक सोच का निर्माण करें
- ➡ सभी कार्य अराजनैतिक एवं अहिंसात्मक हों

मिलें तो सही..... बातें तो हों.....

लोकतंत्र परिकल्पना एक सतही आदर्शवाद

- ◆ जिन मतों पर लोकतंत्र आधारित होने का दावा किया जाता है वे विभिन्न पूर्वाग्रह, प्रलोभन, झूठे वायदों (बिना उत्तरदायित्व के)
- ◆ दबावों, धमकियों, अशिक्षा, (मत के महत्व को समझने की अक्षमता)
- ◆ जागरूकता की कमी, बेजारीपन (मेरे एक वोट से क्या होगा)
- ◆ सभी की नापसंदगी के कारण NOTA
- ◆ पार्टी स्वीकार्य, व्यक्ति नहीं, या व्यक्ति स्वीकार्य पार्टी नहीं
- ◆ गठबंधन के नाम पर लिए गए वोट को व्यक्तिगत मान लिया जाना,
- ◆ मतपत्रों की बजह से कुछ भी बोलना/करना बाहुबलियों, आतंकियों का भी जबर्दस्ती 'माननीय' हो जाना गलत है।
- ◆ अन्यान्य - चुनाव आयोग, न्यापालिका, का सही नियंत्रण नहीं होना; उच्च तकनीकि, सोशल मिडिया द्वारा, दूसरे देशों के द्वारा हस्तक्षेप।

लोकतंत्र कैसे व्यवहारिक हो सकता है ?

लोकतंत्र : मान्यताएं

- ◆ किसी क्षेत्र का सिर्फ 15 से 30 प्रतिशत मत प्राप्त कर 100 प्रतिशत (घोर विरोधियों का भी) का प्रतिनिधि माना जाना है।
- ◆ स्पीकर, अध्यक्ष जो किसी न किसी पार्टी के होते हैं, उनको निष्पक्ष मान लिया जाना।
- ◆ न मालूम ऐसी कितनी अमान्य, मान्यताओं पर आधारित पार्टी और व्हिप के कारण सांसदों / विधायकों का व्यक्तिगत अस्तित्व न रह कर एक गैंगतंत्र में बदल जाना।
- ◆ एक बार मत मिल जाय फिर अपने प्रतिनिधि पर कोई नियंत्रण नहीं होना, लोकतंत्र का मायने खो देता है।

बूंदें

लोकतंत्र ?

भारत में लोकतंत्र; सम्भव है ?

- ◆ कानून और न्याय में बहुत फर्क है।
- ◆ मत-तंत्र एवं लोकतंत्र में वैसा ही फर्क है।
- ◆ राजनेता - नायक/अधिकार सम्पन्न व्यक्तित्व में नीर-क्षीर विवेक होना चाहिए।
- ◆ यह सम्भव नहीं है।
- ◆ अतः मत-तंत्र के साथ लोकतंत्र सम्भव नहीं है।
- ◆ लोकतंत्र कितना विवश, कितना अव्यवहारिक है ?
- ◆ कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को पलायन करने से पहले कैसा लोकतंत्र था?
- ◆ पलायन करने को मजबूर करने वाले नेता तथाकथित लोकतंत्र के अधिकार सम्पन्न थे!
- ◆ धारा 370 हटने के बाद पुनः वही लोग 'लोकतंत्र' को पुकार रहे हैं।
- ◆ लोक तंत्र कितना भ्रामक है।

Contd.

- ◆ लोक तंत्र का सबसे सुन्दर सबसे वांछनीय अध्याय समान अवसर (equal opportunity) है।
- ◆ बोलने-अभिव्यक्ति की आजादी' - कितना आकर्षक है!
- ◆ बोलने की क्षमता कितनों में है ?
- ◆ बोलने वाले और नहीं बोल सकने वालों में गोलबंद होने की क्षमता में कितना फर्क है ?

5% सक्षम गोलबंद होकर ये 95% को बंधक बना लेते हैं,
लोक तंत्र कैसे सम्भव है।

अलोकतांत्रिक-दलगत राजनीति

- ◆ कल तक जो व्यक्ति एक पार्टी के तहत विधायक/मंत्री था, वह चुनाव/के ऐन मौके पर पार्टी बदल रहा है, सीधे उल्टी पार्टी में जाता है।
- ◆ या पार्टी के अनुसार चुनाव के बाद व्यक्ति के रूप में दूसरी पार्टी में चला जाता है; अकेले या समूह में इससे क्या फर्क पड़ता है ?
- ◆ पार्टी की विचारधारा का क्या हुआ ?
- ◆ उस 'नेता' की विचारधारा का क्या हुआ ?
- ◆ मतदाता के विचार/अभिव्यक्ति; मत का क्या हुआ !
- ◆ मतदान व्यक्ति परक या पार्टी परक एक वोट से दो निर्णय से लोकतंत्र निर्धारण हास्यास्पद है।
- ◆ पहले जिस पार्टी ने उसे शामिल किया था वह उनके इस चरित्र को जानता था, पुनः दूसरी पार्टी सब कुछ जानते हुए अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं क्यों?

सिर्फ सत्ता पर कब्जा करने के लिए

यह 'लोक मत' का रेप है।

भारत में लोकतंत्र कैसे सम्भव है ?

- ◆ आजादी के बाद देश पर लगभग 60 वर्षों तक एक परिवार का शासन- कभी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता।
- ◆ राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू इत्यादि एक ही परिवार के सदस्य का शासन कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता।
- ◆ कितनी आसानी से लोकतंत्र के साथ खिलाबाड़ हो सकता है!
- ◆ जहाँ अपराधी प्रवृत्ति/बाहुबल, धनबल, धर्मांध बल, जातिबल नेता की योग्यता है;
- ◆ जहाँ स्पष्टतः अयोग्य, नकारा अमान्य को भी काफी लोग समर्थन देते हैं?
- ◆ इसे रोकने में न चुनाव आयोग, न न्यायालय, न संसद, न जनता या विधान सभा/संसद के अध्यक्ष कुछ करते हैं।
- ◆ कुछ नहीं करना तो उसे समर्थन दे देना है।
- ◆ फिर लोकतंत्र का रक्षक कौन तंत्र है ?

'लोगों' (लोक) का तंत्र !




- ◆ 'लोग' जो अधिकांशतः भ्रष्ट हैं, अपरिपक्व, अशिक्षित हैं, स्वार्थी हैं, जिनकी जाति, धर्म, अन्य सम्बंध देश से ऊपर है, इनके प्रतिनिधि, नेता या अफसर कैसे होंगे? इनका भी वैसा ही होगा !
- ◆ “शिकारी आयेगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फसना नहीं” की तर्ज पर-
- ◆ मुफ्त बिजली, कर्जा माफ, मुफ्त टीवी, सोना, खाते में सीधा पैसा जमा करना, महिला अलग, पुरुष अलग, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के दाने सियाशी जाल पर डाले जाते हैं:- लोग जाल में फँसते ही जाते हैं।
- ◆ पंगु सिविल सोसायटी, बिकाऊ मिडिया, रीढ़ विहीन अफसर शाही, सुस्त, सुविधाभोगी अलोकतांत्रिक न्याय प्रणाली; देश के सौदागर भ्रष्टतम राजनैतिक सियासी गैंग।
- ◆ इतने मगरमच्छों के बीच बेचारा छुईमुई लोकतंत्र?

चुनाव : लोकतंत्र का नाशक

- ◆ लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा 'चुनाव' से है ; लोकतंत्र का नाशक है।
- ◆ लोकतंत्र के नष्ट और भ्रष्ट होने का कारण 'चुनाव' है।
- ◆ एक से दो महीने में यह तय होता है कि आगे 4 साल 10 माह तक कौन 'गैंग' मनमानी करेगा।
- ◆ विभिन्न अनैतिकताओं, वादों, प्रलोभनों के हथियारों द्वारा कुछ लोग 'लोक' को 'जीत' लेंगे।
- ◆ यह चुनाव ही लोगों को विभिन्न वर्गों में बाँट देता है।
- ◆ पिछले चार साल 9 माह का कार्यो/कारनामों को लोग भूलकर -तात्कालिक आवेश में/'लहर' में अपने अधिकारों को बिना मोल 'निलाम' करते हैं।
- ◆ जैसे जन्म के साथ मृत्यु है वैसे ही लोकतंत्र का जन्म और मृत्यु दोनों चुनाव से जुड़ा है।
- ◆ चुनाव हथकण्डा हो गया है | टी० एन० शेशन याद आते हैं।

Contd.

- ◆ चुनाव आयोग और न्यायालय का नेतृत्व बहुत सशक्त विवेकपूर्ण और निष्पक्ष बनाना होगा।
- ◆ चुनाव प्रक्रिया के नए तरीके ढूंढने होंगे। प्रतिनिधियों का अनवरत मूल्यांकन करना होगा।
- ◆ चुनाव वोट का प्रबंधन है।
- ◆ चुनाव के 'मौसम' में, सीमाहीन, मर्यादा रहित, कर्तव्य और दायित्व रहित अभिव्यक्ति (की आजादी) अन्दर तक देश और समाज को तोड़ता है।
- ◆ वर्तमान दलगत चुनाव प्रक्रिया अक्षम है, घातक है।
- ◆ चुनाव अनवरत एवं समेकित मूल्यांकन पर ही होना चाहिए।
- ◆ 'संविधान सभा' जैसा ही एक सक्षम आयोग विचार कर इसे नियमबद्ध कर सकता है।
- ◆ एक व्यक्ति अपने (Biometric identity) के आधार पर हर वर्ष गुप्तमतदान कर सकता है।
- ◆ इतना आसान नहीं है।



लोकतंत्रिक (?) : हथकण्डे

- ◆ आज एक भी श्रमिक मेरे यहाँ काम पर नहीं आया।
- ◆ क्यों? एक नेता की रैली में उसे झंडा लेकर खड़ा रहने का 500/- रु० मिला।
- ◆ काम क्यों करना? पैसा देना वाल स्थानीय नेता था, जिसे सीढियां चढ़नी है।
- ◆ मेरे एक टिकरार्थी मित्र ने बताया कि वे एक कार्यक्रम में 74 बसें आदमी भरकर लाये हैं।
- ◆ इस पर खर्च बस भाड़ा, खाना, पीना और कुछ।
- ◆ ये पैसे देनेवालों को कहाँ से वसूल होगा?
- ◆ कभी भी इसके उपाय जायज हो सकता है क्या?
- ◆ यदि यह investment है तो ब्याज समेत वसूला जाएगा। वह जायज होगा क्या?
- ◆ बसूले गए पैसों से सम्बंधित कार्य की गुणवत्ता या पूर्णनुमान (प्राक्कलन राशि) सही हो सकता है क्या?
- ◆ सभी बड़ी-बड़ी रैलियों, सभाओं में मिडिया कई गुना बढ़ाकर प्रसारित करती है।
- ◆ इस तरह अपना TRP बढ़ाने वाले लोग सही प्रतिनिधि हो सकते हैं क्या?
- ◆ अधिकांश चुनाव प्रचार और प्रक्रिया ऐसे ही तो होते हैं।
- ◆ यह सबकुछ लोकतंत्रिक है क्या?

भारत में लोकतंत्र :

- ◆ ज्यादा योगी मठ उजाड़।
- ◆ भारत रूपी मठ में तो मठाधीशों की गिनती ही नहीं की जा सकती।
- ◆ BJP, CONGRESS, SSP, BSP, TDU, TDP, DMK, AIDMK, TRINMOL, CPI, CPM, हर राज्य में न मालुम कितने – क्षेत्रीय क्षत्रप – सबका अपना-अपना एक भी नहीं या कई नेता, उसके रोज विलय, विघटन, संघटन
- ◆ लोकतंत्र की स्थिरता के लिए मठाधीशों क्षत्रपों का कोई नियम तो हैं नहीं।

लोकतंत्र :- आपातकाल-असली तंत्र





आपातकाल का उद्देश्य पूर्णतः गलत था |

तानाशाही इसे ही कहते हैं |

- ◆ स्वभावतः इसका असर भी काफी लोगों के लिए गलत हुआ |
- ◆ बंगाल में ममता, कर्नाटक में कांग्रेस (ज्यादातर) लोगों के लिए आपातकाल से कम क्या है |
- ◆ मुझे आपातकाल अच्छा लगा था – सभी रेलें समय पर (पहले मनमानी थी), सभी कार्यालय पूरी तरह समय पर, सभी स्कूल, अस्पताल चिकित्सक, थाना, समय पर एवं चुस्त दुरुस्त | सामान्य जन के लिए घूसखोरी, भ्रष्टाचार निम्नतम स्तर पर |
- ◆ कुछ प्रतिबंधित मिडिया और आज की उत्तरदायित्व-विहीन मिडिया में से देश/समाज के लिए कौन बेहतर कहना मुश्किल है |

Contd.

- ◆ तलाश के जन्म का आधार आम आदमी की आम जिंदगी की मुश्किलें हैं।
- ◆ यह आपातकाल में कमतर थी।
- ◆ आपातकाल के बाद जनता रेल, जनता भोजनालय सबकुछ 'जनता' का हाल तो बेहाल ही हो गया।
- ◆ वोट के गणित से बंधे लोकतंत्र में अंसगठित और कमजोर के लिए कोई जगह नहीं; किसान आन्दोलन, शाहीनबाग, जैसे लोकतंत्र को हाइजैक करने वाली स्थिति, बंगाल, कर्नाटक, केरल है, टैक्स के पैसे से मुख्तखोरी, (Free bees) ही दे सकता है, जो हर प्रकार से आत्मघाती है।



तलाश : दोषि कौन ?

- ◆ संसद में झूठ बोलना, भ्रामक बातें बोलना, अप्रिय गैरकानूनी, व्यवहार करना, संसद का समय (जनसाधारण का पैसा) बर्बाद करना, सामान्य कानून (न्यायालय के) दायरे में सीधे क्यों नहीं है।
- ◆ यदि संसद में ऐसा हो सकता है; सर्वोच्च संस्था में हो सकता है तो यह तो उदाहरणीय, और अनुकरणीय है।
- ◆ राहुल गाँधी हों या नरेन्द्र मोदी गलत या भ्रामक बातें नहीं बोल सकते, सदन की कार्रवाई को रोकना, बल प्रयोग दंडनीय होना ही चाहिए।
- ◆ कुछ लोगों का समर्थन किसी को भी शासन व्यवस्था के लिए मिला है, उसमें गलत, झूठ, गैर कानूनी बात, देश समाज का अहित करने के लिए नहीं।
- ◆ कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था स्वयं कानून / अनुशासन/रिवाज का पालन नहीं करेगा तो कौन/ क्यों करेगा?

Contd.

- ◆ राहुल गाँधी या कोई और देश की (बेसिक), आधार भूत व्यवस्था, स्थिरता, सांमजस्य, किसी समुदाय की अस्मिता को चोट पहुचाना, देश की सुरक्षा के लिए तैनात सेना का मनोबल तोड़ना, लांछण लगाना, दंडनीय बनाया जाना देश की, लोकतंत्र की, संविधान की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
- ◆ सीधी और कठोर कार्रवाई आवश्यक है, सत्ता पक्ष नहीं तो संसद में कोई निष्पक्ष कमिटी/संस्था बना कर दोषि को दंडित करना अनिवार्य है।



लोकतंत्र

- ◆ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश द्रोह पनपता है।
- ◆ धार्मिक, स्वतंत्रता के नाम पर जबर्दस्ती/प्रलोभन, धर्म परिवर्तन कराने वाले को बचाता है।
- ◆ न्याय प्राणली सिर्फ दोषियों अधिकार सम्पन्न लोगों को बचाती है।
- ◆ कमजोर, निर्दोषों को जेलों में सड़ा देती है / उनकी सभी स्वतंत्रता का हनन कर देती है।
- ◆ मानवाधिकार तो बना ही है, पीड़क को बचाने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के लिए, शासनतंत्र, न्यायतंत्र को ध्वस्त कर बदमाशों की सुरक्षा के लिए।
- ◆ मेरी ऐसा ही अनुभूति है।
- ◆ लोकतांत्रिक व्यवस्था/concept सिर्फ 'लोकतंत्र' के धुर विरोधियों को जन्म देती है उनका पोषण करती है, बढ़ावा देती है, जन सामान्य के हितों के मूल्य पर।

(लोगों का) भारत का असली दुश्मन : लोकतंत्र

- ◆ मतपत्र आधारित लोकतंत्र ने देश को टुकड़े- टुकड़े कर दिया है | न मालुम अभी कितने टुकड़े होने हैं | वर्तमान स्वरूप तो जल्द ही नष्ट होने वाला है |
- ◆ जिसका मत चाहिए उसी पर शासन की व्यवस्था बिल्कुल अव्यवहारिक है | लोकतंत्र की सम्भावना ही नहीं है |
- ◆ आवधारणा/concept ही गलत है |

लोकतंत्र : एक शतरंज

- ◆ शतरंज की गोटियों के अलग-अलग चाल और महत्व होते हैं।
- ◆ एक दूसरे को काटते पीटते, अवरुद्ध करते एक शह और मात (हार) हो जाता है।
- ◆ गोटियाँ स्वयं तो कुछ होती नहीं, वे तो खिलाड़ी के इशारे पर अपनी जान गवांते और दूसरे की लेते रहते हैं।
- ◆ वैसे ही जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, आय वर्ग अब तो परिवार भी इकाई नहीं रही, स्त्री, पुरुष, बेटी युवा के रूप से गोटियों का निर्माण और उसकी चाल चली जा रही है।
- ◆ हमारा, मरना, कटना, अवरुद्ध (विवश) होना, जीत-हार, कुछ भी अपना नहीं होता – सिर्फ खिलाड़ियों (राज नितिज्ञों) का होता है।
- ◆ इसकी सम्भावना नहीं दिखती कि गोटियाँ कभी भी स्वयं चेतन हो कर अपने बारे में निर्णय ले पायेंगी।

देशहित : लोकतंत्र : तानाशाही

- ◆ चीन में विडियों गेम बच्चों के लिए सप्ताह में सिर्फ तीन घंटे के लिए समय शाम 8 बजे से 9 बजे – एक एक घंटा तीन दिन, बस।
- ◆ चीन में यह उद्योग कई लाख करोड़ का है।
- ◆ इनके व्यापार का क्या होगा ?
- ◆ इनकी अभिव्यक्ति की आजादी का क्या होगा।
- ◆ यह लागू भी होगा, कारगर भी होगा और बच्चों, पूरे देश का हित भी होगा।
- ◆ इससे कई गुणा सुधारात्मक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के है। नितीश कुमार की शराब बंदी भी है। परन्तु लागू नहीं होता।
- ◆ यहाँ अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता बाधित हो जाती है!
- ◆ चीन में क्यों लागू होता है – ऐसे अनर्गल वार्तालाप करने वाले भ्रष्टाचारियों को बहुत पहले शी ने जेलों में भर दिया या गायब कर दिया। पूर्व मंत्री को फांसी पड़ जाती है।
- ◆ अनुशासन/समाजिक जीवन का मोल बड़ा होता है, वैयक्तिक हित छुड़वाना पड़ता है।
- ◆ राष्ट्र निर्माण ऐसे होता है।



नक्सलवाद

- ◆ सामूहिक शासन व्यवस्था के सभी वाद, साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद का उद्देश्य सिर्फ बेहतर जीवन स्तर (आर्थिक उपलब्धि) ही है।
- ◆ यूरोप, रूस, अमेरिका या चीन भिन्न वादों के बावजूद सामूहिक एवं व्यक्तिगत बेहतर जीवन स्तर (आर्थिक उपलब्धि) देने में कामयाब रहे हैं।
- ◆ राष्ट्रवाद, नस्लवाद, आतंकवाद सभी की वजह आर्थिक ही है।
- ◆ लौंग मार्च या जार-शाही के विरुद्ध की क्रांति अत्यंत केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था/सामाजिक जीवन के प्रति थी।

ममता बनर्जी : असहिष्णु राष्ट्र

- ◆ जब संसद में पारित कानून-CAA हो या कोई और मान्य नहीं, केरल फिर बंगाल ने साफ-साफ संसद की सत्ता को नकारा तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष, सर्वेच्च न्यायालय ने सहिष्णुता का परिचय दिया।
- ◆ जब किसान आन्दोलन के नेता ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर तिरंगे की जगह कोई दूसरा झण्डा फहराया; हम सभी ने सहिष्णुता का परिचय दिया।
- ◆ किसान आन्दोलन/शहीनबाग धरने के रूप में देश, उसकी राजधानी या उसका बड़ा हिस्सा बंधक बनाया जाता है, आर्थिक नुकसान पहुँचाया जाता है, कितनों की जाने चली जाती है हम बेमिसाल सहिष्णुता का परिचय देते हैं।
- ◆ आज ममता बनर्जी संसद को नकारने, कानून व्यवस्था का उत्तरदायित्व सभालने की जगह खून खराबा कराने, सभी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भंग करने, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी नहीं मानती है।

- ◆ हम सहिष्णु हैं – यदि ममता बनर्जी चाहें तो कल चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणाम की जगह खुद चुनाव परिणाम घोषित कर दे, तो क्या नई बात होगी ? कौन क्या कर लेगा ? सबको हर प्रकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संबैधानिक है।
- ◆ इनकी स्वतंत्र सत्ता के आगे हमारी संसद, हमारी न्यायपालिका, चुनाव आयोग और हम सब खास कर बंगाल की जनता जो एक विशेष बौद्धिक स्तर की मानी जाती है सभी नतमस्तक हैं।
- ◆ स्वघोषित चुनाव परिणाम लेकर अपने दल के गैंग के साथ कलकत्ता या दिल्ली को घेर कर बैठ जायेगी तो कोई क्या बिगाड़ लेगा ?



लोकतंत्र की खोज....

- ◆ लोक-तंत्र सभी लोगों का तंत्र कभी हो सकता है क्या ?
- ◆ यहाँ VVIP, VIP, IP बाहुबली, धनबली, पदबली, खानदान बली, लोकल बली, समूह बली, लोग होते हैं।
- ◆ न्याय के आगे सभी बराबर है; अनुभव गम्य नहीं है।
- ◆ चुनावी प्रक्रिया लोगों के स्वत्व एवं स्वधिकार का अपहरण कर उनपर काबिज होने की प्रक्रिया जैसा लगने लगा है।
- ◆ मतदान के बाद हमारे पास क्या रहता है – लोग घर जला दें, कार्यालय जला दें, गोली मार दे। कॉलेजों में राजनीति तय करने लगी कि किसका प्रवेश होगा, किसकी बात थाने में सुनी जायेगी या और भी कुछ, यह साबित करता है कि यह सरकार सबकी होती है चाहे किसी ने उसे मत दिया है या नहीं”, बिल्कुल गलत है।
- ◆ ऐसी कई अन्यान्य अव्यवहारिक मान्यतायें लोक तंत्र का आधार हैं।

लोकतंत्र

- ◆ न्याय और सुशासन का केन्द्र केवल सत्पुरुष है, न पार्टी, न संसद, न न्यायालय
- ◆ सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, ऐ० पी० जे० कलाम, बाजपेयी जैसे लोगों ने लोक तंत्र की मान्यताओं का मान रखा |
- ◆ यह व्यक्तिगत (व्यक्तित्व) सुचिता की बात है |
- ◆ अतः हमें सिर्फ व्यक्तियों (व्यक्तित्वों) को चुनना चाहिए |
- ◆ प० बंगाल के चुनाव में यदि व्यक्ति चुने जाते तो चुनाव के बाद धर्मानुसार भेदपूर्ण आगजनी, हत्या, लूट नहीं होती | लोकतंत्र कैसे बचेगा ?
- ◆ प्रत्यक्षतः दलगत चुनाव 'व्यक्ति' और उसके गैंग का शासन स्थापित कर रहा है, संसद या विधान सभा का नहीं, चाहे वह व्यक्ति स्वयं जीते या हारे |
- ◆ दल की राजनीति 'लोकतंत्र' बिल्कुल नहीं है |

लोकतंत्र की खोज....

- ◆ इस देश को यदि जिन्दा रहना है – अखण्ड रहना है, यदि इसे लोकतांत्रिक रहना है तो दलों से ऊपर, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादिवादों एवं विवादों से ऊपर एक सर्वमान्य नेता चाहिए।
- ◆ कभी कोई सर्वमान्य नेता हुआ ऐसा नहीं लगता है। परन्तु विभिन्नवादों से ऊपर, विवादों और दलों से ऊपर मुद्दे की राजनीति करने वाला, बिना वर्गीकरण के मान्य नेता चाहिए; अन्यथा संवैधानिक संकट की उपस्थिति, कुछ दलों के नेताओं का यह खुंखार चरित्र कि देश का कुछ भी हो, लोगों का कुछ भी हो मेरे हाथों में ही शासन हो, इसे बचने नहीं देगा। दुनियां के अधिकाँश देशों में ऐसा ही है।
- ◆ 1947 ई० में विभाजन इसी बात से हुआ। आज भी यह विभाजित क्षेत्र अपनी असली समस्याओं से ज्यादा आपस में ही उलझा हुआ है।

लोकतंत्र : दलगत

- ◆ एक की जीत में सभी अपना- अपना अवसर और उपाय देख रहे हैं | सभी हारे हुए, नकारे हुए लोग, एक विजेता के पीछे गोल बंद हो जाते है, लगता है, यह मौका है! क्या देश के लिए ? देश के लोगों के लिए या अपने लिए अपने अपने दलों के माध्यम से जिनमें आपसी सम्बंध कभी न रहे है, फिर भी एक हो जाते है, पहले से एक चिन्हित (विजेता) को मार गिराने के लिए |

लोकतंत्र एक असमर्थ तंत्र?

- ◆ न्यायपालिका कालोजियम आदि सभी प्रकार के दोषों से युक्त आलोकतांत्रिक, संस्थागत, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है।
- ◆ ऐसी स्थिति में अल्प संवैधानिक प्रावधानों/ के साथ मिडिया/पत्रकारिता/संचार माध्यम एक नियंत्रक, नियामक (लोक तंत्र के चौथे स्तम्भ) के रूप में विकसित हुआ।
- ◆ जल्द ही मिडिया, भ्रष्ट, पृष्ठपोषण और पीत पत्रकारिता के दोषों के कारण घातक /महत्वहीन हो गया है।
- ◆ लोकतंत्र एक असमर्थ तंत्र हो गया है।
- ◆ लोकतंत्र-नागरिक मंच में निहित है।
- ◆ अतः एक अन्य अराजनैतिक स्तम्भ (नागरिक मंच) civil society के विकाश की सख्त आवश्यकता है।
- ◆ समेकित प्रशासन का यह एक अगला स्तर मात्र होगा।
 - व्यक्ति के चरित्र/व्यक्तित्व का कोई विकल्प नहीं है।
 - सही व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया “गलत को 'गलत' और 'अच्छे' को अच्छा कहें” के बीच है।
- ◆ स्वतंत्र नागरिक मंच सभी राष्ट्रीय मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी दें।
- ◆ इसे अराजनैतिक रहना होगा।
- ◆ न्यायिक, आर्थिक, आधिकारिक शक्तियां नहीं होगी; अतः यह एक प्रभावी मार्गदर्शक/नियामक स्तम्भ होगा।

लोकतंत्र की खोज

- ◆ अतिम सत्य 'बल' है ।
- ◆ मूर्ति हो या विश्वास, बल से तोड़ा जा सकता है
- ◆ कई जगह कई बार विभिन्न समयों में तोड़ दिया गया है ।
- ◆ मूर्तिपूजा के सबसे बड़े/पहले विरोधी बुद्ध की संसार में सबसे ज्यादा मूर्तियां है ।
- ◆ धर्म' की स्थापना भी अक्सर 'बल पूर्वक' होता रहा है ।
- ◆ आपकी सभी मान्यतायें 'बल' पूर्वक तोड़ी जा सकती है।
- ◆ आपकी सभी 'चीजे' बल पूर्वक छीनी जा सकती है ।

भारत में असली जनतंत्र है ।

- ◆ कहीं कोई दबाव, कोई बंधन नहीं, मन है तो चिकित्सक अस्पताल आयें।
- ◆ मन हो और यदि खुद आता हो तो शिक्षक स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ाये – अन्यथा ट्यूशन को, कोचिंग करें। मन हो तो विधार्थी 'आये' और पढ़े अथवा कोचिंग करें। मस्ती करें। राजनीति के दाव आजमायें।
- ◆ अभियंता भी कुछ 'अतिरिक्त' के लिए करें, अथवा 6 माह का कार्य 6 साल में होगा – 100 रु० का काम 1000 में होगा।
- ◆ लिपिक वर्ग तो असली शासक है, मन मर्जी है, तरह तरह के हथकड़े और सोच है। काम कैसे करेगें।
- ◆ चतुर्थ वर्ग के हाथों में झण्डे है। मुंह में नारे हैं।
- ◆ कुछ तो शासक हैं। निर्णय इनके ऊपर वाले लें; कार्य इनके नीचे वाले करें।
- ◆ नेता पहले कुर्सी पर काबिज तो हों, और उसपर उनकी अनवरत पकड़ और स्थिरता तो हो जायें, फिर देखेंगे, करेगें।

भारत में भगवान् का निवास हैं।

शरणार्थी : लोकतंत्र

- ◆ शरणार्थियों का किसी देश-प्रदेश में / शरण लेने में, और सशस्त्र व्यक्तियों/बालों द्वारा घुसपैठ करने और कब्जा कर लेने के असर में कोई फर्क नहीं है।
- ◆ शरणार्थी के रूप में कब्जा करना कहीं ज्यादा घातक है।
- ◆ असर एक ही है; पूर्व के bonafide निवासियों के जर, जोरू, जमीन, रोजगार, अर्थतंत्र, संसधानों पर कब्जा। उनका सांस्कृति को विध्वंस करना।
- ◆ जहाँ-जहाँ भी शरणार्थी (भारी मात्र में) गये वहाँ के लोगों को कमोबेश शरणार्थी बन जाना पड़ता है या पड़ेगा।
- ◆ घर की सीमा में और राज्य की सीमा में कोई फर्क नहीं है।

शरणार्थी : लोकतंत्र

- ◆ मैक्सिको की सीमा पर दिवाल बनाना बहुत खर्चीला था फिर भी लम्बी अवधि में लाभदायक है।
- ◆ शरणार्थी पैदा करने वाली स्थितियों पर ही हस्तक्षेप करना आवश्यक है।
- ◆ आततायियों से, सही तरीके से, सक्षम तरीके से, कानूनी एवं हक से स्थानीय ही, और अपनी जमीन पर ही लड़ सकते हैं।
- ◆ अतः उन्हें मजबूत कर लड़ो या मरो के लिए तैयार करना होगा।
- ◆ उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ना ही बेहतर, अंतिम और स्थायी विकल्प है।
- ◆ विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले (व्यक्ति/प्रति वर्ग किलोमीटर) भारत के लिए शरणार्थी को प्रश्रय देना आत्मघाती है।

लोकतंत्र : निजता का कानून

- ◆ यह भेद आवश्यक है कि 'निजता' 'निजी' (व्यक्तिगत) ही है या इसका सम्बंध देश समाज से भी है।
- ◆ जबतक यह 'निजी' है तब तक ठीक है परन्तु जैसे ही 'निजता' की रेखा मिट कर देश या समाज से जुड़ गया वह 'निजता' रही ही नहीं,
- ◆ जो 'सही' है उसमें निजता की जगह बहुत कम है।
- ◆ अतः आतंक/असमाजिक कार्य, अनैतिक कार्य, व्यापारिक गोरखधंधे देश-समाज के 'निजता' कानून में नहीं आ सकते।
- ◆ ऐसी (गुप्त) वार्ता या सूचना पर सुरक्षा एजेंसी ही नहीं सबो का हक़ है, क्योंकि सबों को अपनी सुरक्षा का हक़ है, यह यदि कहीं से भी threatened है तो कानून को उसे उजागर करना आवश्यक है न कि उसे ढकना।
- ◆ यदि देखा जाय तो, निजता को कानून की मांग समाज के सिर्फ 5% प्रतिशत लोगों के लिए है, जबकि 95% लोगों का उसमें भयानक अहित छुपा हुआ है।

लोकतंत्र की खोज...नेता नहीं नायक

- ◆ बहुत दिक्कतें हैं! आपकी भागीदारी अनिवार्य है।
- ◆ देश में नेताओं की बहुलता है।
परन्तु 'देश' का 'नेता' कोई नहीं है। नेता नहीं नायक की आवश्यकता है।
- ◆ सभी अपनी पार्टी के, दल के, गैंग के नेता है।
- ◆ दल उन्हें देश का नेता बनने नहीं देता।
- ◆ अर्थ, अधिकार और कुतर्क सम्पन्न 'शिक्षित', सामूहिक हित की बलि अपने लिए निर्ममता पूर्वक कर रहे हैं।
- ◆ कार्यपालिका व्यक्तिगत अर्थपालिका/जीविकोपार्जन का साधन हो गयी है।
- ◆ ऐसी (गुप्त) वार्ता या सूचना पर सुरक्षा एजेंसी ही नहीं सबो का हक है, क्योंकि सबों को अपनी सुरक्षा का हक है, यह यदि कही से भी threatened है तो कानून को उसे उजागर करना आवश्यक है न कि उसे ढकना।
- ◆ यदि देखा जाय तो, निजता को कानून की मांग समाज के सिर्फ 5% प्रतिशत लोगों के लिए है, जबकि 15% लोगों का उसमें भयानक अहित छुपा हुआ है।

लोकतंत्र

- ◆ चुनाव का धरातल ही गलत लगने लगा है।
- ◆ घुसपैठियों को वोट बैंक बनना, वोटों को सोना, टी० वी०, मुफ्त का भोजन, मुफ्त का पानी, बिजली, खातों में पैसा जमा करना चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक उन्माद फैलाना और कोई नियामक भी नहीं।
- ◆ इन तात्कालिक बातों से मतों का अपहरण कर लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कही जा सकती है।
- ◆ संघीय एवं राज्य दोनों की मान्यता का टकराव अत्यंत घातक होगा, संसद की सत्ता को नकारने वाले लोग अपने अपने क्षेत्र के मालिकाना (?) हक को तो भुनाएंगे ही।
- ◆ लोक तंत्र के तीनों अंगों की खीच-तान भी अति तीव्र होने वाली है। ऐसी स्थिति में बाहरी और भीतरी संकट, आर्थिक और सुरक्षा के संकट विकट होने की सम्भावना प्रबल है।
- ◆ आवश्यक है सामूहिक सोच के निर्माण की। सामूहिक सोच लोकतंत्र है।
- ◆ मतपत्र का सीधा सम्बंध बहुत मुश्किल है।
- ◆ ऐसी (गुप्त) वार्ता या सूचना पर सुरक्षा एजेंसी ही नहीं सबो का हक है, क्योंकि सबों को अपनी सुरक्षा का हक है, यह यदि कही से भी threatened है तो कानून को उसे उजागर करना आवश्यक है न कि उसे ढकना।
- ◆ यदि देखा जाय तो, निजता को कानून की मांग समाज के सिर्फ 5% प्रतिशत लोगों के लिए है, जबकि 95% लोगों का उसमें भयानक अहित छुपा हुआ है।

लोकतंत्र

- ◆ प० बंगाल में चुनाव के बाद जो जल रहे हैं, जो जालाये जा रहे हैं, नेस्तनाबूत किये गये, उनका लोकतंत्र कहाँ हैं?
- ◆ जीतने की खुशी मनाने से ही खुशी क्यों नहीं है?
हारे हुए का लटका हुआ मुंह देखने में ही विजेता को भरपूर खुशी होती है, संतुष्टि होती है।
- ◆ लेकिन हारे हुए का कत्ल करना, घर की औरतों को जलील करना, उनको जलाना इस लिए जरूरी होता है कि आगे चूं नहीं करें; चाहे उनके साथ कुछ भी हो। यह लोकतंत्र कहीं से नहीं है।
- ◆ सबसे बड़ी बात “अगले चुनाव के लिए याद रखना” का सन्देश दिल में गहरे पैबशत करना है।
- ◆ शासन पर काबिज होने पर असहमत लोगों पर अत्याचार की अनुमति लोकतंत्र नहीं दे सकता है।
- ◆ लोकतंत्र का दरवाजा आगे के लिए भी बंद!
- ◆ स्व० टी० एन० शेषन के शब्दों में “असहमत होने का अधिकार ही लोकतंत्र है” (Right to disagree is democracy) एक मंत्र है।

लोकतंत्र के रक्षक?

- ◆ जहाज कैसे उड़ता है, भवन कैसे बनता है, चाँद पर कैसे जा सकते हैं, सबकुछ किसी को नहीं पता हो सकता है। मुझे नहीं पता।
 - ◆ परन्तु नेता को सब पता होता है | कोरोना हो या इसरो का चन्द्रयाण | अतः सलाह नहीं आदेश वहाँ से लागू होता है।
 - ◆ इसी प्रकार हमारे प्रशासक को भी सब पता होता है।
 - ◆ न्यायपालिका तो सर्वोपरि है ही।
 - ◆ अंतिम अधिकारी मिडिया है, उसके एंकर सर्वसक्षम संवैधानिक सर्वज्ञाता का आभास देना चाहते हैं | एंकर के सवालों का जबाब सिर्फ उन्ही के पास होता है।
 - ◆ उनके मतों से मतांतर मुश्किल है ? उनसे कुछ पूछने का उपाय भी नहीं है।
 - ◆ इनके बिकाऊ होने, की खबर भी आती रहती है।
- अक्सर लोकतंत्र को अपूर्ण क्षति पहुंचाते हैं।

लोक की सरकार : लोकतंत्र

- ◆ जब भारत के कंधार में अपहृत जहाज के कुछ व्यक्तियों का सौदा पुरे राष्ट्र से किया |
- ◆ (न मालूम यह जहाज यदि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, समुद्र में गोता लगा देता तो कैसे सौदा होता)
- ◆ जब एक केन्द्रीय मंत्री की पुत्री की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा से की गयी |
- ◆ जब शांतिदूत बनने के लिए कश्मीर को UNO को सौंपा गया, इन सौदों का मूल्य हम चुका रहे हैं/भोग रहे हैं |
- ◆ कोई-न-कोई लोकतांत्रिक सरकार(?) तो थी |
- ◆ उस देश की अस्मिता ध्वस्त हो गयी जिसमें दो बेटों को जीते जी आँखों के सामने दीवाल में चुनवा दिया गया |
- ◆ ऐसे कई बलिदान दिए गए | किस लिए ?

लोकतंत्र

- ◆ लोकतंत्र 'संगच्छब्धं' है।
- ◆ अनुशासन और कर्तव्य रहित उदारता विरोधाभाषी हैं।
- ◆ आत्मनुशासन न सहज है, न समान्य है बल्कि दुर्लभ है।
- ◆ दिशाहीन/उद्देश्यहीन/विखराव स्वतंत्रता नहीं हैं। गति और दिशा दोनों आवश्यक है।
- ◆ सीमाहीन भी नहीं हो सकता है।
- ◆ एक-कोशीय से जटिल बहुकोशीय evolution है जिससे जीवन बेहतर होता है। बहुकोशीय जीवों के सभी कोश जीव के लिए कार्य करते हैं तभी उसका भी अस्तित्व है।
- ◆ राष्ट्र भी एक जीवित इकाई है।

शरणार्थी सैन्यशिक्षा

- ◆ हमारे देश के कई भू-भाग में हमारे मूल निवासी शरणार्थियों से बदतर स्थिति में हैं।
- ◆ ये बाहर जा नहीं सकते यहाँ वे तथाकथित शरणार्थी और वोट बैंक के लिए अपने ही लोगों द्वारा प्रताड़ित होते हैं। (प० बंगाल, असम)।
- ◆ हमें तैयार रहना चाहिए कि कभी भी भारत में गृह-युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।
- ◆ पूरे देश में सभी युवाओं को तत्काल सैन्य शिक्षा अनिवार्य करना आवश्यक है।
- ◆ शरणार्थी, invasion, आन्तरिक अस्थिरता के लिए यही एक मात्र उपाय है।

लोकतंत्र की खोज....

- ◆ किसके जिम्मे है लोकतंत्र ? लोगों के ? रा० ट्रम्प के ? किसान नहीं होते हुए भी किसानों के नेता पर या फिर किसी शाहीन बाग़ पर ।
- ◆ तथाकथित किसान आन्दोलन ने भारतीय लोकतंत्र को बंधक बना कर रखा शाहीन बाग़ हो, ममता बनर्जी का बंगाल हो, राजनैतिक पार्टी हो, बाहुबली हों, लोकतंत्र कुछ लोगों के जूते की नोक पर !
- ◆ लोकतंत्र' पर गहन पुर्नविचार आवश्यक है । राजतंत्र, साम्यवाद, लोकतंत्र की सीढ़ियाँ पार कर नये सामजिक शासन व्यवस्था की आवश्यकता दिख रही है ।
- ◆ हर जगह न्यायतंत्र भी उपस्थित तो था ही ।
- ◆ दलविहीन राजनीति ही अगली कड़ी है ।

लोकतंत्र की खोज....

- ◆ आज संसद के (C.A.A) कानून को केरल में, बंगाल में अमान्य करते हैं, ऐसा कैसे सम्भव है ? नागरिकता का कानून Concurrent विषय तो है नहीं।
- ◆ वह दिन दूर नहीं जब एक जिला पार्षद, एक पंचायत, संसद के किसी कानून को अमान्य करने लगेगा।
- ◆ कड़े कदम भारतीय संघ के जिन्दा रहने के लिए आवश्यक है।
'हमें चाहिए आजादी', अभिव्यक्ति की सीमाहीन स्वतंत्रता, के टुकड़े-टुकड़े करना आवश्यक है।
- ◆ हमारे अंगों का आपसी ताल मेल आवश्यक है। यदि हमारे हाथ शरीर के बचाव में नहीं उठे तो हमारा सिर-छाती, जीवन कुछ भी नहीं बचेगा।
- ◆ तथाकथित (किसान) आन्दोलन पर न्यायालय निर्णय नहीं करेगा अयोध्या मामले का दशको तक नहीं हुआ था। पुलिस करेगी अत्यंत दर्भाग्यपूर्ण है।
- ◆ पुलिस का कार्य ठीक और गलत का निर्णय करना सम्भवतः नहीं है, निर्णय को कार्यान्वित करना है।

धर्म : लोकतंत्र

- ◆ फ्रांस हो, स्वीडन हो या पाकिस्तान, सीधं या कला के नाम पर ईश निंदा और उसकी प्रतिक्रिया दोनों बिल्कुल वांछनीय नहीं है।
- ◆ यह सबों के लिए समान नहीं है।
- ◆ हिंदी फिल्मों में जैसी-जैसी ईशनिंदा की गयी है कि दूसरी जगह पर बवाल हो जाता पर एक सही समाज ने उसे नजर अंदाज कर दिया।
- ◆ मैं समझाता हूँ इससे ईशानिंदा करने वालों का मकसद भी शायद ही पूरा हुआ है।
- ◆ मैं उसकी मत्सर्ना, निंदा करता हूँ।

हिंसा नहीं

सरकार के ऐतिहासिक निर्णय-

1. FL नं० 814, 24 दिसम्बर 1999 में भारतीय विमान का अपहरण कर कांधार ले जाया गया | यात्रियों को छुड़ाने के लिए सौदेबाजी की गयी | 174 यात्रियों का जीवन बचा लिया गया था | प्रशासन पर बहुत दबाव था | नतीजा वर्षों से देश भुगत रहा है | लाखों लोगों ने जान गवाई, न जाने कितने सुरक्षा बल मारे गए | कश्मीर अभी भी अशांत है |
2. सख्ती होती 100-200 लोगों की जाने जाती तो पुनः ववाल होता यह सही है, परन्तु यह शर्मनाक राष्ट्रीय चरित्र नहीं बनता, जैसा उड़ान सं० 814 के अपहरण और अब किसान (रहित) अराजकता (आन्दोलन) से बन गया |
3. वोट का डर, सत्ता में बने रहने का लोभ, लोक एवं लोकतंत्र के साथ धोखा है |

लोकतंत्र की खोज....कानून

- ◆ पुलिस और लोकतंत्र
- ◆ पुलिस को नियमतः आदरणीय नहीं बनाया गया है | मिडिया समान्यजन शायद ही कभी इनकी बड़ाई करते हैं | आलोचना हर कोई करता है, अपेक्षा सब कोई करता है | सहायता/सूचना भी लोग नहीं देना चाहते हैं |
- ◆ इसका कारण, कार्यशैली है, भ्रष्टाचार या प्रशासनिक कुव्यवस्था; कहना मुश्किल है |
- ◆ परन्तु आजकल नेताओं, बाहुबलियों अब खासकर महिलाओं द्वारा इनका रोजाना मान-मर्दन अत्यंत शोचनीय है | वर्दी की इज्जत रखना भी काफी आवश्यक है | प्रशासक/विधायिका को पुलिस कार्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा कानून व्यवस्था का भरी हास होगा |

व्यक्ति में?

- ◆ भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहीम से उपजे 'आप' के नेता में भारत के नए नायक का चेहरा दिखा था, बहुत आशा बंधी थी | आज वे हर जगह से हर तरह से लोकतंत्र के अभिशाप बन गए |
- ◆ कुछ दिन पूर्व संसद में पारित कानून को मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से फाड़े जाने की क्रिया संवैधानिक शासन पर सीधा कुठाराघात है, इसपर कार्रवाई नहीं होना संविधान के खात्मे की शुरुआत है |
- ◆ जिनसे मूल्यों की स्थापना की उम्मीद थी, वे रंग बदलते रहे, एक T.V. Actor की तरह बन गए और स्थापित मूल्यों और देश हित की धज्जियाँ उड़ा दी |
- ◆ अब तो स्थिति यह है कि संसद या विधान सभा में पारित आदेश को हर मुखिया खारिज कर सकता है और अपने पंचायत में लागू नहीं करने का आदेश दे सकता है |
- ◆ ये भी दलीय राजनीति की उपज है |
- ◆ उन्हें चाहिए क्या ?

मौत तो आएगी ही |

लोकतंत्र की खोज : अंतराष्ट्रीय

ब्रिटिश संसद में भारतीय मुद्दे

- ◆ ब्रिटेन एवं कुछ अन्य देश भी खासकर अमेरिका दूसरे-दूसरे देशों (खासकर भारत) के आंतरिक मामले में कमेंट करता रहता है।
- ◆ इसको 'मानवाधिकार' इत्यादि का जामा पहनाया जाता है।
- ◆ ज्यादातर इनका सम्बंध आर्थिक हितो से होता है; कभी-कभी युद्ध हो जाता है।
- ◆ लोकतंत्र एक देश के अन्दर भी बहुत मुश्किल है विश्व पटल पर अंतराष्ट्रीय लोकतंत्र तो बहुत मुश्किल है।
- ◆ U.N.O. कही से भी लोकतांत्रिक नहीं है।
- ◆ VETO से ज्यादा अलोकतांत्रिक और क्या हो सकता है।
- ◆ सामर्थ्य, सैनिक अंततः आर्थिक मजबूती ही सभी तंत्रों का निर्णायक तत्व है।

Contd.

“प्रतिदिन वाजिब तरीके से एक रूपया और कमायें”

- ◆ मीडिया ने बोलने की मर्यादा, गंभीरता, संवेदनशीलता उत्तदायित्व खो दिया है।
- ◆ एक-एक व्यक्ति, एक-एक मीडिया का पर्याय हो गया है।
- ◆ सभी मीडिया कसी न किसी के नियंत्रण में है अतः स्वतंत्र कैसे हो सकता है?
- ◆ लोकतंत्र का यह स्तम्भ भी अत्यंत बीमार है।

सही लोगों/ सिविल सोसायटी के पास न अर्थ है, न तंत्र है, निर्णायक भूमिका निभाने का मद्दा ही नहीं है।

लोकतंत्र की खोज...सामूहिक भागीदारी ।

- ◆ आपकी भागीदारी आपके हित में है, अनिवार्य है।
- ◆ प्रबल सामूहिक सोच का निर्माण आवश्यक है।
- ◆ दलगत राजनीति सही नहीं है।
- ◆ 'तलाश' में शिरकत करें, इसकी रचनात्मक समालोचना करें।
- ◆ आप हमेशा आमंत्रित हैं। मिलें तो सही।

लोकतंत्र : सही वनाम गलत

- ◆ पुराणों में वर्णित माँ दुर्गा का विरोधी, महिषासुर, रक्तबीज, शुम्भ-निशुम्भ कोई कमजोर नहीं थे, इनके भी दुर्ग और बलशाली एवं असंख्य समर्थक थे।
- ◆ राम के विरोधी रावण कोई कम नहीं थे। यदि विभीषण, सुषेण और हनुमान नहीं होते तो
- ◆ कृष्ण के जीवन पर्यन्त विरोधी भी महाप्रतापी थे।
- ◆ धर्मराज युधिष्ठिर के विरोधी दुर्योधन कम नहीं था कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म भी उनके साथ थे।
- ◆ प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध में परस्पर विरोधी भी कोई कमतर नहीं थे, न इनके सहयोगियों की कमी थी।
- ◆ इसलिए सभी परिस्थियों में युद्ध हुए।
- ◆ युद्ध व्यक्ति का नहीं विचारों का होता है।
- ◆ लोग तो औजारों की तरह बलि चढ़ जाते हैं।
- ◆ भारतवर्ष का आन्तरिक कलह भी भीषण रूप ले सकता है।

Contd.

लोकतंत्र ?

- ◆ जब बिखरे हिन्दुस्तान का एकीकरण सरदार पटेल ने किया।
- ◆ जब 62 की लड़ाई में शर्मनाक हार हुई | 65 में जय जवान, जय किसान का नारा लगा | देश उठा।
- ◆ जब 71 में प्रधानमंत्री को दुर्गा के रूप में देखा गया।
- ◆ जब कश्मीर में 370 समाप्त की गयी।
- ◆ जब चीन को उसी के शब्दों में जबाब दिया गया।
- ◆ राष्ट्र यही था, कोई-न-कोई सरकार भी थी।

लोकतंत्र की खोज

- ◆ विश्व समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्रीय अध्यक्षों की स्थिति वही है जैसे समान्य मानव समाज की।
- ◆ वैसा ही 'लाभ' का व्यापार है, खेमेबाजी गुटबंदी, जोर-जबर्दस्ती है,
- ◆ वीर-भोग्या वसुधरा है।
- ◆ अमानवीय आचरण उच्चतर स्तर पर कहीं ज्यादा है।
- ◆ मानव जाति-बोध नगण्य है।

हमारा लोकतंत्र

- ◆ अपने संविधान के तहत हम (भारतीय नागरिकों) ने विधायिका का निर्माण किया; प्रभुता की सारी शक्ति विधायिका को ही प्रदान की गयी।
- ◆ इधर दो स्वयंभू शक्तियाँ उत्पन्न हो गयी है। न्यापालिका तो विवेचना के अधिकार से सम्पन्न पूर्णत संवैधानिक है दूसरा मिडिया तो अभिव्यक्ति के अधिकार का विकृत, अनियंत्रित, पूर्णतया स्वयंभू है।
- ◆ संवैधानिक प्रतिबंध धारा 19.2 का तो कोई मायने ही नहीं है।
- ◆ इससे हमारी प्रभुता सम्पन्न विधायिका अत्यंत कमजोर हो गयी है और अक्सर सही निर्णय नहीं ले रही है।
- ◆ गलत को गलत कहना आवश्यक है।
- ◆ प्रधानमंत्री मोदी हों या महात्मा गाँधी
- ◆ हमें यह साहस रखना जरूरी है।
- ◆ खास मुद्दों पर एक त्वरित आमराय / राय शुमारी का उपाय होना चाहिए।
- ◆ गलत को गलत कहना आवश्यक है। संवैधानिक संस्थाओं में व्यक्तिवाद

सम्प्रभु सरकार या लोक

- ◆ सरकार सर्व सम्प्रभुता सम्पन्न है परन्तु अंतिम सम्प्रभुता 'लोक' के पास है।
- ◆ बहुत विषयों पर निर्णय का अधिकार, संस्था को है।
- ◆ परन्तु पुनः विचार करने, करवाने का हक हमसे कोई नहीं छीन सकता है।

लोकतंत्र

- ◆ ** ADR द्वारा RTI के तहत जानकारी
- ◆ 2008 करोड़ कांग्रेस के पास
- ◆ 994 करोड़ बी० जे० पी० के पास
- ◆ 417 करोड़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास
- ◆ ये पैसे कहाँ से आयें ? हर जमा एक रुपये के बदले करदाता नागरिकों की जेब से सौ (१००) रुपये जाते हैं | करदाता संघ (TAX PAYERS ASSOCIATION) का निर्माण अत्यंत आवश्यक है |
- ◆ आय का स्रोत-अज्ञात !
- ◆ गुप्तदान क्यों ?
- ◆ मंदिर में तो दिया नहीं गया |
- ◆ इसपर इनकम टैक्स दिया गया कि नहीं ?
- ◆ राजनैतिक पार्टियां बिकी की नहीं ?
- ◆ इसलिए 'तलाश' दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना चाहता है |

संविधान

- ◆ 'संविधान' कुरान, बायबिल, गीता नहीं है | व्यक्तियों की सोच है |
- ◆ कुछ लोगों ने इसमें भयानक परिवर्तन कर सुधार नहीं, विकृत कर दिया है |
- ◆ उद्देश्य एवं मूल स्वरूप गायब हो गया है; 'ज्यादातर' लोगों के लिए विरुद्ध हो गया है, राष्ट्र के लिए प्रतिगामी हो गया है |
- ◆ संविधान धार्मिक पुस्तकों के जैसा ईश्वरीय आदेश नहीं, मानवीय स्व-अनुशासन है |
- ◆ संविधान में 'सुधार' किये जाने की प्रक्रिया एवं प्रावधान है | कुछ लोग इस विकृत संविधान की दुहाई देकर अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध कर वस्तुतः देश की काफी हानि कर रहे हैं |
- ◆ इसे पूरी तरह नकारा भी जा रहा है जैसे UCC, CAA पर संसद के निर्णय को राज्यों द्वारा नकारना |

आम आदमी का संविधान

- ◆ मैं संविधान विशेषज्ञ नहीं, परन्तु एक सामान्य व्यक्ति की समझ से देखता हूँ कि मुझे; एक आम आदमी को संविधान से क्या चाहिए ?
- ◆ विभाजनकारी पार्टियाँ?
- ◆ वोट के लिए विभाजनकारी नीतियाँ, इसकी अनुमति, सहमति? (मतों का विभिन्न भावनात्मक मुद्दों को उठाकर, उकसा कर, धुविकरण करना और समाज का विनाश करना / देश के टूटने की न कोई चिंता न उत्तरदायित्व)
- ◆ एक कौम/वर्ग को दबाकर दूसरे का मत सुनिश्चित करना ।
- ◆ बादे जो पूरे नहीं हो सकते ।
- ◆ मुफ्त खोरी, अकर्मण्यता को प्रोत्साहन
- ◆ व्यक्ति, परिवार, समाज लोगों की निजी जिंदगी संबन्धी अधिकारों/रोजमर्रा की जिन्दगी को प्रभावित करने वाले कानूनों में जनसामान्य (CIVIL SOCEITY) की भागीदारी तो कहीं भी नहीं दिखती है ।
- ◆ (फिर संविधान किसके लिये, संसद किसके लिए)
- ◆ पुनर्वीक्षण नितांत आवश्यक है ।

एक भारत का संविधान

- ◆ भारत एक फेडरल व्यवस्था?
- ◆ अब इधर भारत को राज्यों का संघ (FEDRAL) कहने की हिमाकत, इसे टुकड़ें कर अपना एक टुकड़ा सुनिश्चित करना /नोच लेने का षड़यंत्र काफी आगे बढ़ गया है।
- ◆ मुगलों के पहले राजबाड़े थे।
- ◆ अंगेजों ने भारत के पांच सौ से ज्यादा रियासतों को कब्जा किया और स्वंत्रता भी उन लोगों ने सबको अलग- अलग दिया, (भारत तेरे टुकड़े कर दिया का षड़यंत्र)।
- ◆ सरदार पटेल ने एक देश बनाया।
- ◆ एक देश बनाया फिर उनके भी तीन टुकड़े किये, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कुछ लोगों ने देश बाँट लिया/दिया।
- ◆ वर्तमान भाषाई राज्यों की कल्पना, संरचना तो भारत के एकीकरण के बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था।
- ◆ बड़े-बड़े राज्यों के टुकड़े किये गए थे जैसे बंगाल से बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात।
- ◆ आजाद भारत में भी बिहार से झारखण्ड बना छत्तिसगढ़ बना, तेलंगना बना।

Contd.

- ◆ भारत के राज्यों के स्वरूप को बदला गया न कि पूर्ण भारत से किसी राज्य को अलग किया गया।
- ◆ राज्यों के रूप में एक भारत को पुनर्गठित करने के कई आधारों में एक आधार 'भाषा' को माना गया जिसका भी तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने विरोध किया था।
- ◆ भारत राज्यों का संघ कब बना ?
- ◆ देश द्रोह, भारत की बर्बादी, टुकड़े करने वाले सम्पूर्ण नहीं; तो कुछ पर अधिकार कर लेने की मंशा वाले लोग भारत को राज्यों का संघ या फेडरल बनाने के नरेटिव आजमायेंगे ही। ऐसी ही मंशा वाले जिन्ना और नेहरू ने भारत के तीन टुकड़े किये। सीमान्त गाँधी निरर्थक हो गए थे।
- ◆ संविधान में भी यह स्पष्टतः लिखा है कि सभी राज्य एक केंद्र के आधीन है।
- ◆ संघीय व्यवस्था के षडयंत्र को शुरु में ही कुचलना आवश्यक है। अन्यथा खालिस्तान, कश्मीर, उत्तरपूर्व जैसे और न जाने कितने आधारों पर कितने विभाजनों की मांग होगी।

संविधान की आकस्मिक जरूरतें !

- ◆ शांति, सुरक्षा, प्रगति बनाए, रखने के लिए धर्मान्तरण पर रोक परमावश्यक है।
- ◆ इसमें संविधान कहीं से आड़े नहीं अता है।
- ◆ संविधान में कई provision है, कमजोरों की सुरक्षा के लिए जैसे आरक्षण, तथाकथित और तत्कालीन आवश्यकता समयानुसार अल्पसंख्यक को संरक्षा एवं सुविधा, प्राथमिकताएँ | आज की स्थिति अपने गुणों / अवगुणों के चलते एक बहुत बड़ा समुदाय कमजोर और कई प्रकार के हमलों (धर्मान्तरण – असंतुलित जनसंख्या विस्फोट असामाजिक तत्वों / स्थितियों) का शिकार हो रहा है एवं सभी पैमानों पर अल्पसंख्यक, पिछड़ी दबू मनोवृति वाला, आरक्षण / विशेष संरक्षण का हकदार हो गया है।
- ◆ कोई भी लोकतंत्र/संविधान यह अनदेखी नहीं कर सकता कि एक बहुत बड़ा समुदाय असुरक्षित हो, कुछ लोग उसे कुतरते काटते, समुदाय, राजनैतिक पार्टियाँ उन्हें खाते

Contd.

चले जाएँ और व्यवस्था इन घातक तत्वों की सहायता करती रहे, यह तो सरासर अन्याय है | हर दृष्टिकोण से अमान्य है।

- ◆ समझ में नहीं आता कि लोगों के मतों से सत्ता में काबिज सरकार इनकी सुरक्षा के लिए बाध्य कैसे नहीं है।
- ◆ कोई भी देश, काल, पात्र से परे नहीं हो सकता।
- ◆ राज्य या केंद्र में कोई भी पार्टी, बहुत ही कम विधायक या सांसद स्पष्ट पूर्ण बहुमत (50% से ज्यादा) ऐसे अल्प मतों पर आधारित सरकार को बाध्य करते आये हैं।
- ◆ इसके लिए आवश्यक विचार एवं तंत्र में सुधार की आवश्यकता है।



पार्टी की जगह सिर्फ व्यक्ति को चुनना आवश्यक है।

अल्पसंख्यक और लोकतंत्र, विरोधाभाषी हैं;

- ◆ एक अकारण थोपी हुई बात।
- ◆ भेद भाव के लिए, जन सामान्य को विभाजित करने के लिए।
- ◆ यह शब्द सबसे बड़ा, सबसे अनचाहा, सबसे घातक , 'आरक्षण' है।
- ◆ यह संविधान के हम भारत के लोग/लोक की अवधारणा के ही विरुद्ध है।
- ◆ हिन्दू की कोई एक परिभाषा (पहचान) नहीं है।
(कितना भी सोच कर देखें)
- ◆ 'सनातन' पुरातन है, किसी भी धर्म सम्प्रदाय से पूर्व का-इसे 'हिन्दू' का पर्याय बनाना गलत है।
- ◆ तथाकथित 'हिन्दू' में जाति, उपजाति, वर्ग एवं वर्ण व्यवस्था इतनी सख्त (wahtelight) है कि उन्हें एक में समेटना संभव /उचित नहीं है। (लोग अछूत थे, लोग कुछ लोगों के छुआ खाते नहीं थे, एक स्थान पर बैठ नहीं सकते थे)

Contd.



- ◆ जैन, बौद्ध, सिख, नव-वौद्ध (neo Buddhist), ईसाई, नव इसाई (neo cristian), वामपंथ/नक्सल कोई भी तो 'हिन्दू' नहीं हैं।
- ◆ फिर अगड़े, पिछड़े, अ.जा. अनु ज० जाति उन्हें भी; अति' लगाकर अलग-अलग समुदाय बनाया जा चुका है।
- ◆ ब्राह्मण, भूमिहार, कुर्मी, यादव.....ऐसे कई सौ जातियों का आपस में कोई सम्बन्ध तो बनता नहीं है | अकेले किसी की भी जन सख्या 10-12% भी नहीं होगी।



संविधान - अवैधानिक है।

- ◆ संविधान(लोकतंत्र) का बहुमत ही आधार (कल्पना/ अवधारणा) है, अल्पमत अल्पसंख्यक न परिभाषित है न सही है।
- ◆ इनको भी 'जगह देने की जगह, 'इन्ही के लिए' जगह है।
- ◆ सामान्य जन, बहुसंख्यक या भारतीयों का स्थान निम्न स्तर पर है, प्राथमिकता 'अल्प' की है।
- ◆ बहुत चीजों की स्वतंत्रता (बोलने अभिव्यक्ति, धर्म का पालन इत्यादि) की स्विकृति (विकृति) वस्तुतः बहुतों पर प्रहार संहार, अपमान, शोषण, आधिकार हनन का कारक है; संवैधानिक कहलाता है।
- ◆ देश भी परिभाषित नहीं है - यह भूगोलिक है या राजनैतिक या बिना किसी वांडड़ी का है, जिसे मर्जी आ सकता है, नागरिकता नाम की चीज का भी विरोध है।
- ◆ पहले से रहने वालों का हक छीनें, विस्थापित करें, जंगल राज है।

- ◆ इसके अन्दर रहने वालों के लिए यह किताब है या विभिन्न धर्मों, अन्यान्य विभाजकों, घटकों को फलने-फूलने के लिए, तोड़ने-मारोड़ने के लिए आवश्यक उपकरण है।
- ◆ 'मत पत्र' एक निर्जीव चीज, शासक है।
- ◆ असम्भव है सभी मतपत्रों का वजन समान होना जिसे खरीदा-बेचा, मैनेज किया जाता है।
- ◆ कोई एक मुद्दा आधारभूत या अन्य सभी-मुद्दों पर भारी हो जाता है।





संविधान : संख्या

- ◆ कथाकथित अल्पसंख्यक मुसलमान भी इसी भारत भूमि में जन्मे-पनपे बंशज और देशज रूप से सिर्फ भारतीय हैं। ये वस्तुतः एक भारतीय जाति ही हैं।
- ◆ जातियों का आपसी संघर्ष भी उसी प्रकार है।
- ◆ अल्पसंख्यक का बिल्ला कुछ लोगों का एक धातक समूह बनाने में मदद करता है।
- ◆ एकमुश्त होकर ये सभी चुनाव में अहम् भूमिका निभाते हैं। देश संविधान, संसद के सभी कार्यकलापों को गलत दिशा में प्रभावित करते हैं।
- ◆ धार्मिक शिक्षण के नाम पर अधार्मिक शिक्षा, कट्टपांथि की विभाजन की धार्मिक असहिश्रुता की शिक्षा देते हैं।
- ◆ क्या उपरोक्त बातें गलत हैं ?
- ◆ अतः धर्म नहीं जाति गणना (जैसा कुछ लोगों की मांग है) कराकर अल्पसंख्यक की संज्ञा, मान्यता, कानूनी, संवैधानिक स्थान समाप्त कर दिया जाना आवश्यक है।

Contd.

यह सिर्फ घातक सियासी मान्यता है, यदि किसी जाति (जैसे पारसी, यहूदी अन्य की संख्या 1% से ही/कम आती है, तो वे अल्पसंख्यक को जाने के हकदार हैं | उनमें भी अल्पसंख्यक का बिल्ला लगाकर भारतीय नागरिक से अलग पहचान देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

- ◆ हम सब भारतीय हैं; घुसपैठियों को छोड़कर जो भारतीयों का रोजगार, जमीन हपड़पते है।



समान नागरिक कानून U.C.C.

- ◆ अबतक जो कानून संसद/विधान सभाओं में बन रहे थे वो सबों के लिए यदि नहीं थे, तो स्पष्ट: वे सिर्फ 'हिन्दुओं(?)' के लिए थे।
- ◆ हिन्दुओं के मिताक्षरा/अन्यान्य किसके लिए कौन क्या मानते है ठीक से पता भी नहीं।
- ◆ क्या इसी में सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी इत्यादि भी थे; अहमदियों के लिए क्या है ? यदि हाँ तो अन्य के लिए क्यों नहीं?
- ◆ संसद द्वारा भारतीय कानून (IPC) के नाम पर सिर्फ हिन्दुओं के लिए बनाये गए जो हिन्दुओं की मान्यताओं और परम्पराओं के बिल्कुल अलग/खिलाफ थे । इन कानूनों ने (हिन्दुओं)/ की पारिवारिक संस्था को तोड़ कर पूरे समाज को बर्बाद करने में अहम् भूमिका निभाई जैसे – तलाक कानून, 2006 संपत्ति बटवारे का कानून (मेरी निजी मान्यता के अनुसार) अन्यान्य ।

UCC : एक कानून क्यों ?

- ◆ यदि दो या ज्यादा पक्ष किसी खास परम्परा/कानून जैसे मुस्लिमों द्वारा शरियत को मानना चाहते हैं तो दूसरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
- ◆ स्पष्टतः यदि उनमें से एक भी पक्ष उस कानून या परम्परा के अनुसार न्याय नहीं चाहता है तो उसे निश्चित रूप से एक U.C.C. के तहत न्याय मिलाना चाहिए।
- ◆ इसमें किसी धर्म (पण्डित, मुल्ला, पंच) का कोई हस्तक्षेप अस्वीकार्य होना चाहिए।
- ◆ यदि सम्बंधित पक्ष ऐसे किसी विधान (यथा शरियत) से मिली व्यवस्था/न्याय से असंतुष्ट है तो निश्चित रूप से U.C.C. लागू हो जाना चाहिए।
- ◆ धार्मिक कानून की व्यवस्था लोकतांत्रिक सरकार कैसे कर सकती है।
- ◆ U.C.C. में ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि यदि दो पक्षकार अपने धार्मिक कानून को अधराधिक कानून (CRIMINAL PROCEDURE) के मामलों में भी मानना चाहते हैं (जैसे चोरी के जुर्म में हाथ काटना) तो इसकी

Contd.

पूरी व्यवस्था सरकार नहीं सम्बधित संस्था ही करे | यह भी स्पष्ट है कि नागरिक या अपराधिक किसी भी मामले में यदि दो धार्मिक (मान्यता) के लोग हैं, किसी भी प्रकार धर्म परिवर्तन, किसी भी समय (विवाह पूर्ण, विवाहेतर) विवाद U.CC. के तहत ही निर्णित होना चाहिए |

- ◆ यदि भारतीय संसद को पूरे देश/देशवासियों के लिए एक कानून बनाने का अधिकार नहीं है या वह किसी खास वर्ग (समुदाय को मान्य नहीं है और सरकार उसे लागू कराने का अधिकार/सामर्थ्य नहीं रखता है तो उसे किसी अन्य खास समुदाय (हिन्दुओं) या वर्ग के लिए भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है | सभी को अपनी अपनी व्यवस्थाओं का हवाला देकर न्याय लेने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए |

कितनी अराजकता हो जायेगी |

UCC : धार्मिक कानून

समझ से परे


- ◆ एक देश में दस धर्म तो दस धार्मिक न्यायालय की व्यवस्था होगी ?
- ◆ फैसला सुनाना अलग है | उसको लागू भी दस व्यवस्थाएं करेंगी |
- ◆ देश की एक भौगोलिक/राजनैतिक सीमा है; धर्म की सीमा तो भौगोलिक नहीं है –
- ◆ एक जज, एक वकील कई धर्मों के कानून पढ़ेंगे
- ◆ सजा प्रावधान के अनुसार सजा से बचने के लिये क्या धर्म परिवर्तन स्वीकार होगा ?
- ◆ हाथ काटने, आँख फोड़ने, हत्या के बदले हत्या- मुझे तो हमेशा सही लगता है जबतक दुसरे पर लागू होता है –
- ◆ व्यवहारिकता ?

संविधान बनाना जरूरी है।

- ◆ भारतीय उपमहाद्वीप में एक संस्कृति/जीवन पद्धति /सभ्यता पनपती, फलती-फूलती चली आ रही है जो सम्भवतः विश्व की सबसे पुरानी है।
- ◆ इसे सनातन/पुरातन कहा जा सकता है, 'हिन्दू' के रूप में परिभाषित करने में कठिनाई है।
- ◆ आर्यों एवं आर्येतर संस्कृतियों का भी एकीकरण बहुत पूर्व में हो चुका है।
- ◆ राजाओं-महाराजाओं के काल में बुलबुलों की भांति सीमा रेखायें बनती, बिगड़ती रही होगी परन्तु सभ्यता/संस्कृति एक ही रही।
- ◆ इसका प्रमुख लक्षण मानवता, एवं समावेशी रहा, सम्पूर्ण मानव जाति की एक ही पहचान 'वसुधैव कुटुम्बकम् एवं सर्वेसन्तु निरामया' केन्द्रीय गुण रहा।
- ◆ करीब सात सौ साल पहले (मैं सटीक इतिहासवेत्ता नहीं) आक्रामक सभ्यताओं का आगमन, मुगलों एवं अंगेजों के रूप में हुआ।

Contd.

- ◆ संहारिक क्षमताओं की कमी के कारण तथाकथित सनातन द्वितीय स्थिति में चले जाने पर भी सिमटे हुये भारतीय क्षेत्र की मूल पहचान बनी रही है।
- ◆ अब यह भयानक रूप से खतरे में है।
- ◆ इस भारतीय समुदाय ने कभी भी आक्रमण, बलप्रयोग कर धर्मान्तरण लूट, अमानवीय कृत्यों, लूटने मारने, बलात्कार करने को राजकीय/सामुदायिक रूप में ग्रहण नहीं किया।



- ◆ आज पहले से कई गुणा भीषण आक्रमण झेल रहा है।
- ◆ डेमोग्राफिक (जनसांख्यिकी) बदलाव, कुछ कट्टर-सांप्रदायिक मुसलामानों द्वारा प्रत्यक्ष एवं बिना बेहोशी के सर्जरी और ईसाईयों द्वारा, बेहोशी या शामक (sedative) एवं भ्रामक उपायों के बाद धर्मांतरण से भारी संकट उपस्थित हो गया है।
- ◆ अपने समावेशी समग्रता के कारण अत्यंत सरलता से प्रभावित हो जाने/मारे जाने वाले इस समुदाय की रक्षा आवश्यक है अन्यथा विश्वपटल पर मानवता जीवित नहीं रहेगी।
- ◆ मानवता धार्मिक/साम्प्रदायिकता से बंधी हुआ नहीं है।
- ◆ भारतीय क्षेत्र की औपनेवेशिक स्वतंत्रता से आजादी, औपनेवेशिक मानसिकता (coloniality) से मुक्ति नहीं है।
- ◆ 26 जनवरी 1951 को अधिग्रहित भारतीय संविधान इसमें अंतर्निहित संसद, न्याय प्रणाली, कार्यपालिका सभी औपनिवेशिक मानसिकता एवं अन्य त्रुटियों से पूर्णतः भरे हुए हैं।

सामयिक संविधान जरूरी है।

- ◆ मतदान के बाद मतदाताओं का अधिकार समाप्त।
- ◆ काल्पनिक लोकतंत्र के नाम पर व्याहारिक गैंगतंत्र / दल-तंत्र के रूप में परिवर्तित हो जाना।
- ◆ आदर्शवादिता, अव्यावहारिकता, पहुँच से परे न्यायतंत्र का 'चर्च' सम्राज्य के रूप में परिवर्तित होना।
- ◆ कार्यपालिका का पूर्णतः राजाओं के अधिकारियों/ कर्मचारियों की भांति कर्तव्य पालन की जगह अधिकारिता का प्रयोग अपने लिए करना।
- ◆ संसद का पार्टी रूपी गैंग का अखाड़ा बनना।
- ◆ देश-समाज के ऊपर स्वयं एवं उसके लिए दलों के निर्माण और उपयोग (मतपत्रों) के लिए चलते धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र एवं आर्थिक अनियमितताओं के हथियारों द्वारा भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इसके असल हकदारों को हाशिये में नहीं, पूर्णतः मिटा देने के कगार पर ले आना।

संविधान : संख्या

- ◆ असली हकदारों का हक सुनिश्चित करना आवश्यक है - धार्मिक नहीं मानवीय बहुसंख्यक की रक्षा, आक्रामक प्रवृत्ति से निवृत्ति ही 'संविधान' का उद्देश्य/कर्तव्य होना चाहिए; तदनुसार संविधान का निर्माण आवश्यक है।
- ◆ 1947 की आशिक, औपचारिक, प्रतीकात्मक आजादी के बाद औपनेवेशिक मानसिकता की गुलामी से मुक्ति के बिना निर्मित संविधान में भी हस्तक्षेप, सोद्देश्य बदलाव जैसे धर्मनिरपेक्ष; सेक्यूलर, अभिव्यक्ति की भ्रामक, सीमाहीन आजादी, अल्पसंख्यक की असम्बद्ध मान्यता, सभी को बराबर दर्जा नहीं देकर एक को सुरक्षित आक्रामक ब्रिगेड में बदलने की साजिश है, यह कई उदाहरणों से समझा जा सकता है:-

विभाजित/पक्षपाती संविधान

1. यथा मंदिरों का सरकारीकरण अन्य धार्मिक संस्थाओं, चर्चों, मस्जिद को सरकारी 'संरक्षण' ने बहुसंख्यक मानवीय आबादी को कुछ आक्रामक धर्म के ठीकदारों मिशिनारियों का भोज्य बना दिया गया है।
2. एक सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, आर्थिक रूप से उपयोगी एवं सामाजिक शिक्षा की जगह धार्मिक शिक्षा प्रणालियों स्कूलों, महाविद्यालयों को सिर्फ मान्यता नहीं देकर उनको प्राथमिकता देना, अत्यंत घातक सिद्ध हुआ है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से धर्माध ब्रिगेड, आत्मघातियों आतंकियों मिशिनारियों को सोद्देश्य पनपाना बहुसंख्यक वास्तविक हकदारों को असुरक्षित कर उन्हें सिमटने, फिर मिटने के लिए घातक भी, धूर्तता, बदमाशीपूर्ण संवैधानिक बदलाव किया जाना।
3. अनकानेक उदाहरण एवं उसका प्रभाव स्पष्ट है :-

लचर संविधान

- ◆ वक्फ बोर्ड' जैसा हास्यास्पद कानून बनाना,
- ◆ बहुसंख्यकों की अन्तिम पारिवारिक संस्था को विभिन्न कानूनों 'तलाक, कानून 4 9 8 A विशेष विवाह अधिनियम बिल्कुल अप्रचलित एवं अमान्य सम्पत्ति उत्तराधिकार की कानूनी समस्याएँ पैदा करना।
- ◆ न समेकित नागरिक कानून, न तथाकथित/सिख, इसाई, जैन, हिन्दू पर्सनल लॉ होना, परन्तु मुस्लिम पर्सनल लॉ होना।
- ◆ राजनैतिक सीमा के अंदर निवास करने वाले की पहचान न करे | घुसपैठियों का अंतहीन प्रवेश और वोटबैंक बनाकर वस्तविक हकदारों को बेदखल करने / मरवाने की अनुमति इत्यादि।
- ◆ कश्मीर जैसे प्रान्तों में, GENOCIDE की कारवाई के प्रति निष्क्रिय रहना।
- ◆ संसद में पारित कानून को राज्य विधान सभा द्वारा नकारना (RCC/UCC)।
- ◆ कतिपय नेताओं द्वारा देश/विदेश में भयानक देशद्रोह पूर्ण/समाजिक द्वेषपूर्ण वक्तव्यों पर कोई कारवाई नहीं होना।

संविधान का क्षेत्र भौगोलिक या धार्मिक

- ◆ जनता के पैसों से पार्टी/गैंग के लिए वोट खरीदना।
- ◆ जनसामान्य को अनावश्यक अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय कर्जे में डुबोना इत्यादि।
- ◆ यह हिन्दू, गैर हिन्दू की बात नहीं है यह भारतीय क्षेत्र और सभ्यता की बात है।
- ◆ अतः इस प्रक्षेत्र की बहुसंख्यक मानवीय समावेशी गुणों वालों की संवैधानिक सुरक्षा करना ईश्वरीय आदेश की तरह आवश्यक है। यही बसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वेसन्तु निरामया- जिओ और जीने दो की अकाट्य मानवीयता को जिन्दा रख सकता है, जो अन्ततः सभी धर्मों, सम्प्रादाओं की सुरक्षा के साथ-साथ मानव मात्र की सुस्थिरता एवं सुनिश्चिता के लिए परमावश्यक है।
- ◆ भारत में सभी लोगों के लिए 2 वर्षों की सैन्य सेवा अनिवार्य हों।

या

- ◆ भारत के सभी स्कूलों में सैन्य शिक्षा आवश्यक होना चाहिए।
- ◆ देश को संबल करने और कई अन्य समस्याओं से निबटने का यह एक आवश्यक उपाय है।

संवैधानिक आदर्शवाद :या व्यावहारिक बुलडोजर

- ◆ कारगर संविधान आवश्यक है।
- ◆ अनियमितताओं, माफिया आतंक, पर बुलडोजर चल रह था | सुरक्षा की अनुभूति हो रही थी | उस बुलडोजर पर सुप्रीम बुलडोजर चल गया।
- ◆ मुझे समझ नहीं आता है :-
- ◆ समाज में प्रशांति स्थापित करना, बनाए रखने की जिम्मेदारी/ अधिकार हमारे द्वारा चुने हुए विधायिका एवं कार्यपालिका की है और उनके अधिकार और कार्य क्षेत्र है या नहीं ?
- ◆ न्यायपालिका का बुलडोजर किसे सुरक्षित कर रहा है माफिया और गलत करने वालों की या जन सामान्य की? क्या व्यक्ति के तथाकथित अधिकार के आगे जनसामान्य का कोई अधिकार नहीं ?
- ◆ केवल आदर्शवादिता वह भी सिर्फ गलत लोगों के लिए, उचित न्याय व्यवस्था है ?
- ◆ जब बुलडोजर नहीं चल रहा होता है, जनसामान्य दहशत में जीता है, अवैध कब्जे होते हैं क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली उतनी त्वरित, सक्षम कारवाई नहीं कर सकती है।
- ◆ हमें आज का संविधान चाहिए।

बुलडोजर-2

- ◆ सुप्रीम बुलडोजर आदेश से यह भी साफ हो गया कि दोष हुक्म देने वाले की नहीं, करने वाले की है, क्योंकि सजा/निर्देश/ हर्जाना हुक्म देने वाले सरकार की नहीं हुक्म का पालन करने वाले ऑफिसर की है – इस प्रकार तो दोषी सिर्फ बुलडोजर ही हो जाता है।
- ◆ इससे यह भी स्पष्ट है कि कार्यपालिका विधायिका के अन्दर नहीं, सीधे न्यायालय के आधीन है।
- ◆ यह भी कि आफिसर को यदि पंसद न हो तो आदेश/ निर्देश का पुष्टिकरण न्यायालय से प्राप्त हो तभी वह कार्य करें।

संविधान जरूरी है ।

- ◆ संविधान सभा प्रमुख प्रथम राष्ट्रपति स्वं डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था “हमारा संविधान” बन गया है।
- ◆ इसकी अच्छाई बुराई इस बात पर निर्भर करती है कि इसको चलाने वाले कैसे लोग है।
- ◆ हमें तो ऐसा संविधान चाहिए जो हमारे देश को, नेता को, समान्य जन तक को चलाये, न कि उनके द्वारा संविधान ही चलाया जाय; यहाँ तक की प्रस्तावना ही बदल दिया जाय।
- ◆ जो मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी निश्चित करे।
- ◆ यह सुनिश्चित करें कि, निजता का कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सामूहिक स्वतंत्रता, देश हित, सुरक्षा में बाधक न हो।
- ◆ जिसका एक नागरिक, क्रिमिनल, नागरिकता का कानून हो।
- ◆ सामान स्वीकृत शिक्षा प्रणाली पालन करवाये।
- ◆ जिन्हें इच्छा हो अलग शिक्षा दें, परन्तु उसकी संवैधानिक मान्यता न हो, न वे देश के प्रतिकूल हो।
- ◆ एक राजनैतिक सीमा के अन्दर रहने वालों के लिए संविधान सर्वोपरी हो न कि धर्म, साम्प्रदाय, जाती, भाषा इत्यादि।

संविधान रक्षक :नागरिक मंच

- ◆ सबसे ऊपर सिविल सोसायटी की स्थापना हो जो सम्यक रूप से लगातार विचार विमर्श कर सरकार को सलाह दे सके।
- ◆ जो हमें औपनेवेशिक मानसिकता से मुक्त कर हमारी पुरानी गारिमा कर लाये।
- ◆ शिक्षा,न्याय पर सबका एक सामान अधिकार होना चाहिए। योग्य को ही शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। न्याय के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क समय/ खर्च नहीं होना चाहिए।
- ◆ 20%-30% मत पर सरकार- संवैधानिक बन रही है यह कैसे हो सकता है।
- ◆ चुनाव जीतने 'के' बाद पार्टी बदलना कैसे संवैधानिक हो सकता है।
- ◆ IPD, CRPC,कार्यपालकों प्रशासनिक व्यवस्था ICS की जगह तैयार करना, अंतहीन पार्टियों या दलगत राजनीति की व्यवस्था।
- ◆ धर्म आधारित देश के बंटवारे के बावजूद धर्म आधारित 16% से अधिक की आजादी को अल्पसंख्यक घोषित कर अंतहीन नाकारात्मक सुविधाएँ देना /करना गलत है।

लोकतान्त्रिक संविधान

- ◆ बहुमत के सरकार की ही स्थापना होनी चाहिए।
- ◆ वर्तमान संविधान हमेशा अल्पमत की सरकार सुनिश्चित करती है।
- ◆ कभी भी 50% मत प्राप्त दल/पार्टी/व्यक्ति को शासन नहीं मिला।
- ◆ 'विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष' ऐसी अवधारणा जो सरकार के सभी कार्यों विवेचना करे; सिर्फ आलोचन नहीं, वह भी अनगर्ल;
- ◆ वोट बैंक के राष्ट्रहित/समाजहित के विरुद्ध कार्य करना।
- ◆ एक वोट से दो निर्णय एक व्यक्ति, दूसरा पार्टी को चुने-जाने की व्यवस्था अव्यवहारिक एवं पूर्णतः गलत है।

भारतीय संविधान

संविधान भारत में रहने वालों के लिए बना –

- ◆ न कि घुसपैठियों और उन्हें समर्थन देने वाला सत्तालोलुपों के लिए | ये घुसपैठिये भारतीयों की ही नौकरी, जमीन काटते हैं उनकी संस्कृति विरासत भी मिटाते हैं।
- ◆ जो इस प्रक्षेत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैचारिक संरक्षा सुनिश्चित करे |
- ◆ उस समय RELEVANT लोगों के हित की बलि देकर धर्मांतरण, जन सख्यिव्यंक (DEMOGRAPHIC) परिवर्तन करने के लिए, उन्हें प्रश्रय देने के कारण तत्कालीन संवैधानिक मूल भारतीय, अब द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो गए है | जिन्हें विभिन्न बहानों से सिमटने मिटने के लिए मजबूर किया जा रहा है | संविधान किनके लिए बना था ?
- ◆ संविधान को देश, समाज विरोधी बात करने का अधिकार मंत्री से लेकर एक सामान्य व्यक्ति तक किसी का नहीं होना चाहिए, ऐसा करने पर उन्हें दण्डित किये जाने का प्राबधान होना चाहिए, संघ की प्रधानता हो राज्य की नहीं | द्वैध शासन व्यवस्था विसंगति पैदा करता है।
- ◆ अधिकार संपन्न/नेता, मंत्री, मिडिया इत्यादि जो बोले उसका आधार, प्रमाण सार्वजनिक होना चाहिए | उनके कथ्यों की जांच एवं न्यायिक सुनवाई (स्वतः) होनी चाहिए
- ◆ ज्यादा से ज्यादा सेवायें अखिल भारतीय होनी चाहिए |

संविधान जरूरी है ।

- ◆ आजकल संसद में कुछ सांसदों की अमर्यादित व्यवहार कभी भी देखा जा सकता है । कुछ ही सांसदों ने संसद की (देश का कार्यकलाप) कार्यवाही को बंद कर रखा है – कितना नुकसान है देश का / हमारा !
- ◆ इन्हें इससे क्या, वाजिब संवैधानिक सरकार को नहीं चलने देना है – नियम कानून से नहीं, असंवैधानिक तरीकों से, गुण्डागर्दी से, मनमानी से ।
- ◆ ऐसी परिस्थितियों के लिए वर्तमान में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है ।
- ◆ क्या इसलिए सांसद माननीय है कि हमें ये कितना भी नुकसान पहुंचा सकते है और किताब ? मूक है – कोई उपाय नहीं है ।
- ◆ इनसे बड़ा आतंकी, माफिया तो शायद ही कोई है ।
- ◆ नया संविधान जरूरी है ।

सामयिक संविधान

- ◆ बहुत पूर्व किशोरावस्था से यह मुझे सही लगता है कि सभी कुछ, मूल्य और मान्यतायें, तदनुसार कानून, व्यवस्थाएँ लोगों के सोच एवं व्यवहार, जरूरतें सभी देश, काल और पात्र के अनुसार बदलते रहते हैं | इनकी सत्यता में अपवाद दिखता नहीं है |
- ◆ फिर
- ◆ आजादी के 75 साल बाद -
- ◆ संविधान एवं न्यायिक प्रक्रिया में वृहत परिवर्तन की आवश्यकता कैसे नहीं है ?
- ◆ जो हो रहे हैं, सही हैं, असरदार भी नहीं हैं या बेइमानीपूर्ण है।
- ◆ महत्वपूर्ण, ईमानदारीपूर्ण बदलाव आवश्यक है -
- ◆ अभिव्यक्ति की आजादी -
- ◆ मिडिया, स्वतंत्रता की सीमाएं
- ◆ सेक्यूलर'
- ◆ अल्पसंख्यक की परिभाषायें
- ◆ खास लोगों, राजनीतिज्ञों, मिडिया की अभिव्यक्ति पर उत्तरदायित्व की अनिवार्यता, दण्ड विधान निर्धारण आवश्यक है।
- ◆ राज्य की सीमाओं/विस्तार का पुनर्निर्धारण, अत्यंत छोटे और अति विशाल जनसंख्या वाले राज्यों के बीच एकरूपता, उसका आवश्यक आधार, तदनुसार परिसीमन/ सामयिक संविधान

सामयिक संविधान

- ◆ संविधान, UCC, NRC, CAA राज्य/राष्ट्र के संबंधो का पुनर्मल्यांकन, राज्य बड़ा या केंद्र ?
- ◆ न्यायिक, प्रक्रिया, इसकी मान्यतायें, अवधारणायें - अन्य सेवओं से इसकी अनुपातिक समानता, लोकतांत्रिक नियुक्ति प्रक्रिया 'Collegium' व्यवस्था का मुल्यांकन,
- ◆ निर्णय की, समयावधि की, अनिवार्यता (राज्यपाल और राष्ट्रपति पर भी) न्यायालय पर और भी।
- ◆ संसद और न्यायालय के बीच अधिक सुस्पष्ट कार्य/ अधिकार क्षेत्र का निर्धारण,
- ◆ न्याय का उद्देश्य deterrent या corrective आदर्शवादिता।
- ◆ जाँच एजेंसियों की स्वायतता,
- ◆ अभियोजन प्रक्रिया
- ◆ अकाट्य साक्ष्य/पारिस्थितिक साक्ष्य क़ानूनी प्रावधानों, दण्डबोध करानेवाला, अनुपातिक आर्थिक दंड, कारावास, मृत्यु दंड में समायोचित बदलाव।

Contd.

- ◆ 498A की सम्पत्ति के बटवारे का प्रावधान – स्त्रियों का अधिकार, पिता के यहाँ या पति के यहाँ? अभी सब कुछ भयावह है, परिवर्तन आवश्यक है।
- ◆ मनुष्य को बदतर श्रेणी का व्यवहार मिलता है। सामर्थ्यवान/अधिक संपन्न और विपन्नों के बीच ज्यादा न्यायिक राजनैतिक संतुलन की सख्त आवश्यकता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता v s सामाजिक वाध्यता/उत्तरदायित्व का निर्धारण आवश्यक है।
- ◆ लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना, सेवाओं और सुविधाओं, टैक्स प्रणाली की पुनर्वीक्षण, (टैक्स देकर उपार्जित धन पर पुनः पुनः कर निर्धारण) एवं राज्य की आर्थिक आवश्यकता के अनुसार अर्थ व्यवस्था के अधिकार इत्यादि पर सम्यक विचार आवश्यक है।

नया संविधान

लोकतंत्र के तिपाये की तीनों टांगें ध्वस्त हो गयी हैं।

न्याय व्यवस्था – संविधान, अतः समाज और व्यक्ति का रखवाला (custodian) एक असफल व्यवस्था सिद्ध हो रही है।

संविधान के तहत ही न्यायव्यवस्था है अतः संविधान ही असफल प्रतीत होता है।

अल्पसंख्यक संविधान ?

- ◆ बहुतमत (बहुसंख्यक) हितों को इस प्रकार नजर अंदाज किया गया है की यह देश/प्रशासन/समाज एक minoritarian व्यवस्था हो गयी है।
- ◆ सामाजिक ताना बाना को नहीं बचा पाया है।
- ◆ देश/समाज की संस्कृति, (जिस पर सामाज चल रहा है) को वैयक्तिक मंतव्यों के कारण नष्ट कर दिया गया है।
- ◆ व्यक्तिगत / पारिकारिक / जीवन में अनावश्यक / गलत / प्रतिकूल / एकांगी प्रावधानों एवं इसकी व्यवस्था से परिवार नाम की संस्था नष्ट प्राय है जबकि यह समाज की आखिरी एवं पहली इकाई है। मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने की आवश्यकता को ही नकारा जा रहा है।
- ◆ निश्चित रूप से जनजीवन संविधान के अनुसार नहीं, अपनी मान्यताओं और रीती रिवाजों के कारण चल रहा है।
- ◆ आदर्शवादिता के कारण व्यवहारिकता पुर्णतः एवं अस्वीकार्य निर्णय होते रहते हैं।
- ◆ वैयक्तिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, आज की न्यायिक विवेचना और संरक्षण के चलते सामाजिक संकट/देश की सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था पर संकट उपस्थापित हो गया है।

संविधान : संसद : न्यायपालिका

- ◆ पेशवेर सामूहिक एवं वैयक्तिक अहंकार में यह तत्थ गौण हो गया है कि आमजन ने स्वशासन के लिए संसद (व्यवस्थापिका) की स्थापना की है, न कि न्यायपालिका की।
- ◆ प्रक्रियागत दिक्कतें एवं खर्च के कारण न्याय व्यवस्था अधिकांश के लिए irrelevant हो गया है।
- ◆ न्यायप्रक्रिया की सुस्ती/देरी ही अधिकतर गैर कानूनी (दीवानी एवं फौजदारी दोनों) कार्यों को बढ़ावा दे देता है | मरनेवाला मर जाता है मारनेवाला अपनी जिन्दगी अक्सर पूरी कर लेता है।
- ◆ सामजिक कर्तव्य का जो मापदंड दूसरों के लिए निर्धारित करते है स्वयं को उससे पुर्णतः मुक्त रखते है
- ◆ राज्यपाल/राष्ट्रपति/अन्य एक समय सीमा के अन्दर निर्णय दें – न्यायालय नहीं।
- ◆ (फिर भी there are many silver lines in place all gold/silver)

(वैयक्तिगत उदगार है, क्षमा प्रार्थना सहित है।)

संविधान : स्पष्ट संतुलन

- ◆ व्यवस्थापिका संसदीय/लोकतांत्रिक प्रणाली-पार्टीतंत्र अंततः गैंग तंत्र हो गया है | इसके निर्णयों का मुख्य आधार चुनाव जीतना, मतपत्र खरीदना या मत प्रबंधन होने के चलते न न्याय होता है, न सही कार्य | व्यक्ति, समाज का कोई स्थान, महत्त्व नहीं रह गया है |
- ◆ कुर्सी अधिकार न सिर्फ लक्ष्य हो गया है बल्कि उसका उपयोग सिर्फ उपभोग और निरंकुश, भ्रष्टाचार के लिए है जो अनैतिक एवं देश द्रोह/समाज द्रोह/आमानवीय/हो चुका है |
- ◆ कार्यपालिका के बारे में कुछ में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है जो कर्तव्यों को अधिकार में परिवर्ति कर जनजीवन को परेशान करते, उगाही करते है | जीवन संकट में डाले रखते है | स्वतः प्राप्य सेवाओं (कार्यों के लिए समान्य जन को तबाही झेलनी पड़ती है | मानसिक, आर्थिक, शारीरिक प्रताड़ना हद दर्जों की होती है | प्रगति में सबसे बड़ा/अंतिम बाधक है |
- ◆ संवैधानिक संवेदनहीनता अनावश्यक सुरक्षा से कुछ तबका खूंखार हो गया है |
- ◆ सबसे प्रभावी, गैर जिम्मेदारी वाला pillar है; बिल्कुल खोखला !

हम /संसद/ न्यायालय

हमारे लिए हमारी क्या जरूरत ? लोकतंत्र के नियामकों की लड़ाई में भला हम कौन हैं ?

मुझे शक्ति परिक्षण/संतुलन की बू आती है।

सांसद/संसद ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना/निर्णय से असहमति जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने सांसद को आखें दिखाई –

संसद ने एक जज पर जांच कराई।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड कानून को विचाराधीन करके संसद के गले पर तलवार लटकायी।

देश के वर्तमान नाजुक समय में वक्फ बोर्ड रूपी पेट्रोल में कुछ भी पलीता लगाने से काफी कुछ जल उठेगा, कौन जलेगा /मरेगा?

न संसद, न न्यायालय, हम,सिर्फ हम, वर्ग, धर्म मायने नहीं रखता।

कमजोर पड़ेगा देश, गृह युद्ध होगा !

हंसेगा पाकिस्तान, थूकेगी पूरी दुनिया।

परन्तु इस खेल में तो हम सिर्फ तमाशबीन ही हो सकते हैं।

बहुत मुसीबत में हैं कोई भी हारे/जीते !

न्याय

- ◆ हम कहते हैं देरी दुरुस्त है – 95% दोषी छूटते रहें, बेल पर रहें परन्तु कोई सही को सजा नहीं होना चाहिए।
- ◆ लाखों under trail, की बात दूसरी है; कहीं दोषी ठहर ही गए तो (5%)।
- ◆ 'under trail' स्वतंत्रता उनकी जीवन का मोल क्या है।
- ◆ जिनके जीवन का मोल है उनके लिए तो निर्णय रात्रि के 12 बजे हो, या 2 बजे, हो जायेगा; वे आतंकवादी हों या उनसे भी बढ़कर।
- ◆ Civil केसों की तो कोई मायने ही नहीं है – अयोध्या हो या वैवाहिक मामले।
- ◆ जिंदगी चल ही रही है। संचालक तो भगवान हैं।

न्याय व्यवस्था - न्यायिक सेवा

- ◆ न्याय, कानून का राज्य स्थापित करना संवैधानिक जिम्मेवारी है।
- ◆ वर्तमान व्यवस्था ऐसी है,कि साधारण व्यक्ति की सम्पति लुट ही जाती है।
- ◆ आधे का न्याय स्वयं हो जाता है क्योंकि न्यायालय में जाने की आर्थिक कूबत ही हारे हुए व्यक्ति की नहीं रहती।
- ◆ देरी से न्याय आने के कारण न्याय की प्रासंगिकता ही समाप्त हो जाती है।
- ◆ हमें यह भी नहीं पता कि न्यायिक सेवा है या नहीं। हम Consumer हैं, भी की नहीं क्योंकि यदि निचली अदालत गलत है, तो आप और ऊपर और ऊपर जाएँ। आपकी आर्थिक औकात और ऊपर जाने की नहीं है तो चुप-चाप रहिये/सहिये/ जेल हो या बेल हो।

Contd.

- ◆ जबकि डॉक्टर यदि निचले स्तर पर गलती करे तो सीधा दंड विधान है | ऊपर जाने से कुछ नहीं होगा भले ही ऊपर जाने पर वे ठीक हो जाएँ | डॉ०, लागत, मानसिक कष्ट, समय और उसका geometric progression के अनुसार दण्ड भरें या जेल जाएँ/इसके लिए सामान्य प्रशासनिक कोर्ट, सामान्य न्यायलय, एक consumer कोर्ट, मिडिया कोर्ट, जन सामान्य कोर्ट न मालुम कितने न्याय स्थान है |
- ◆ (एक वकील साहब ने बताया था 9 तरीके है डॉक्टरों को सजा दिलाने के |)

न्यायालय की चिंता

- ◆ न्यायालय ने यह सही चिंता जताई है कि लोगों में न्यायालय की आलोचना करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।
- ◆ यह अत्यंत चिन्तनीय है।
- ◆ न्यायालय की मर्यादा अक्षुण्ण रहनी ही चाहिए।
- ◆ यह आदर भी स्वतः होना चाहिए, न command से, न demand से।
- ◆ न्यायाधीशों की सुरक्षा आवश्यक है।
- ◆ धनबाद में न्यायाधीश की हत्या (?) सामाजिक व्यवस्था की हत्या है।
- ◆ उसकी सम्पूर्ण जांच एवं कठोरतम कारवाई समाज के लिए आवश्यक है।
- ◆ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेना भी उतना ही सही एवं आवश्यक था।

Contd.

- ◆ यह घटना हमारे कानून व्यवस्था का आईना है।
- ◆ पुलिस/प्रशासनिक पदाधिकारी की हत्या; ठेकेदार द्वारा अभियता की हत्या भी ऐसी ही है।
- ◆ समाज में बढ़ता अपराध अंततः शीर्ष पर बैठे लोगों को भी प्रभावित करेगा ही।
- ◆ अपराध वैचारिक दुस्साहस है।
- ◆ न्याय के आगे सभी एक है; इस अवधारणा को निचले पायदान तक ले जाना आवश्यक है, अन्यथा सिर्फ अपनी सुरक्षा को तरजीह देना अनुचित है।

वैयक्तिक स्वतंत्रता और न्याय की सीमा रेखा ?

- ◆ करोड़ों केस लम्बित हैं।
- ◆ बिना दोषी करार हुए लाखों लोग जेल में बंद है।
- ◆ परन्तु न्यायालय के लिए यह निर्णय आवश्यक है कि पति भी कब अपनी पत्नी का 'रेप' करता है। “क्या सुबूत होगा यह तो अनर्गल सवाल है।”
- ◆ मान मनौबल, कोर्टशिप-जबदस्ती (रेप) की सीमांकन भी न्यायिक रूप में होना चाहिए।
- ◆ मुझे लगता है अगली महत्वपूर्ण याचिका यह होगा कि कौन कैसे सोयेगा?
- ◆ 63, 36, 66, 33 ? इत्यादि
- ◆ सवाल मामूली नहीं है।
- ◆ ऐसी याचिकाएं और उन पर निर्णय अन्तिम न्यूकिलयर परिवार के खात्मे की घोषणा है।
- ◆ क्या यह सब हमारे हित में है ? न्यायालय/न्यायाधीश नहीं तो कौन सोचेगा?
- ◆ सामाजिक/संस्कृति मुद्दा है।

लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था ?

- ◆ व्यवस्थापिका के सभी लोग एवं पद, कार्यपालिका, तकनीकी, वैज्ञानिक सेवा के सभी पद/लोगों के कार्यों की समीक्षा हो सकती है।
- ◆ न्यायपालिका की क्यों नहीं?
- ◆ सभी निर्णयों में, व्यक्ति ही तो होता है।
- ◆ एक खास पद के व्यक्ति कोई गलती या गलत कार्य नहीं कर सकते हैं, ऐसा कैसे सम्भव है ?
- ◆ कौन सा कार्य पवित्र या सम्मानीय नहीं है?
- ◆ क्या चिकित्सा सेवा न्यायिक सेवा से मानव समाज के लिये कमतर है।
- ◆ शिक्षण, चिकित्सा, सैन्य सेवा - वैज्ञानिक/अनुसंधान?
- ◆ लगभग सभी पदों पर नियुक्ति या व्यवस्था एक लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा objective merit पर होती है फिर कोलेजियम कैसे लोकतांत्रिक है?

न्यायालय/धार्मिक संस्थान/लोकतंत्र


- ◆ न्यायालय का स्थान वही होना चाहिए जो लोगों का धार्मिक स्थानों के प्रति होता है | कानून द्वारा इसे स्थापित भी किया गया है |
- ◆ यहाँ तक कि जैसे धार्मिक स्थलों में धर्म के नाम पर कभी गड़बड़ भी होता है वैसे ही न्यायालयों में भी होता है |
- ◆ विश्वास में क्षरण भी उसी प्रकार है |

न्यायालय- धर्म स्थान से ऊपर

- ◆ कानून के राज में न्यायालय धर्म स्थानों से ऊपर भी हो ही गया है – उदारणार्थ – अयप्पा मंदिर में स्त्रियों का प्रवेश आस्था आधारित नहीं कानून आधारित निर्णय (क्या वह स्त्री जिसने यह अभियान छोड़ा था दुबारा कभी वहाँ गयी ?
 - ◆ पद्मनाभान मंदिर के कोष का सार्वजनिक उद्घाटन क्योंकि एक व्यक्ति की जिज्ञासा थी या गलत मंशा थी, जबकि उसपर एक राज परिवार का अधिकार था।
 - ◆ आज वह सुरक्षित है भी नहीं
 - ◆ मंदिरों के चढ़ावे पर राज्य का अधिकार।
 - ◆ तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद,
 - ◆ कुछ दिन पूर्व पतंजलि संस्था एवं श्री रामदेव को नीचा दिखाना।
 - ◆ अब ईशा फाउंडेशन पर ब्रेनवाश का; इनमें एकाकी कुछ भी गलत नहीं है सिर्फ इसके कि
1. इसी देश के अन्य धार्मिक संस्थाओं पर ऐसी ही विवेकपूर्ण नीति न अपनायी गयी, न इसकी संभावना दिखती है। बल्कि वक्फ बोर्ड जैसे कानून बनाए गए।

Contd.

2. अन्य धार्मिक स्थलों की आय विदेशी या स्वदेशी पर कभी आंच नहीं उठी;
3. न पतंजलि के अतिरिक्त किसी अन्य देश-विदेशी उत्पादों, दवाओं के भ्रामक विज्ञापन पर सवाल उठा, भले ही वे सैकड़ों गुणा घातक और गलत थे एवं हैं।
4. न किसी अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन, नियम कानून, आने जाने में रोक-टोक, किसी पर भी कुछ नहीं सुना।



न्यायालय

- ◆ ग्रेटर हैदराबाद के प्राइम लोकेशन की जमीन पर हमारी जिन्दगी, लोकतंत्र, शासनतंत्र, न्यायतंत्र एवं लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया के स्वनामधन्य द्वारा जो लूट की गयी और उस पर पहले तेलंगना उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो विश्लेषण और निर्णय आया उसे देख, सुन समझ कर न्यान्याधीश/न्यायालय के सम्मान में स्वतः शीश झुक गया।
- ◆ कितना फर्क है:- (बाहु)वली वकीलों द्वारा जजों को अपने प्रभाव से गलत निर्णय करवाने यथा अजमल कसाब के लिए रात्रि में उच्चतम न्यायालय खुलवाना, समलैंगिकता, को प्रोत्साहन देने, पत्नी द्वारा बलात्कार का केश किये जाने, जैसे मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में बहस जारी है; जब कि लाखों लोग बिना निर्णय के जेलों में बंद हैं, इनके नागरिक अधिकार का क्या हो रहा है ?
- ◆ जज के निवास पर करोड़ों का नोट जलना, मिलना | उनकी ढीठाई ! FIR नहीं होना, न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा बने रहना |
- ◆ न्यायालय- न्यान्य की जगह ?

न्याय

- ◆ (अतुल नाम के एक इंजिनियर में अपनी परेशानियों को रिकार्ड करते हुये आत्महत्या कर ली थी)
- ◆ ई० अतुल के गुनहगार
- ◆ अतुल मर गया – तो मर गया |
- ◆ कलकते में पीजी डॉक्टर को रेप कर मार डाला, वह भी अत्यन्त विभन्स तरीके से, मार ही डाला तो भला क्या बड़ी बात हो गयी, इसमें इतना हल्ला किस बात का ?
- ◆ सब कुछ शांत हो गया न !
- ◆ सिस्टम में सुधार ? बकवास है, इसमें बड़े बड़े दोषी हो जायेंगे|
- ◆ अतुल सचमुच में मर गया या उसे तिल-तिल कर मारा गया ?
- ◆ किसने, किस-किस ने मारा ?
- ◆ उसने जिसने 498A जैसा बेहूदा कानून बनाया !
- ◆ जो इसपर अपनी आंख एवं बुद्धि बंद कर फैसला सुनाते हैं; जैसे वे इस समाज में रहते ही नहीं |
- ◆ एक साल में 120 पेशी, हर पेशी का औचित्य, पेशी के औचित्य पर कौन विचार करेगा ?

Contd.



- ◆ वकील, पत्नी एवं उसके सहयोगी पार्टी का उद्देश्य ही था कि अतुल को कैसे पेरा जाय – बसूली की जाय या भले ही मर जाए |
- ◆ यह सीधे मौत में धकेलने से ज्यादा बड़ा क्राइम है |
- ◆ मिडिया- सब चुप हैं – सब भूल रहे हैं!
- ◆ 'पत्नी'/ससुराल वालों के इस व्यवहार का अन्य लोगों पर असर? मुझे मालूम है; एक एकलौते अच्छे भले, होनहार ई० लड़के ने शादी से आजीवन मना कर दिया |
- ◆ क्या इस देश में एक ही अतुल हुआ और आगे भी नहीं होंगे?
- ◆ इन सभी / ऐसे सभी मुकदमों (हादसा) के असली गुनाहगारों की पहचान और सजा आवश्यक है |
- ◆ 498A तार्किक (Balance) करना जरूरी है |
- ◆ “सिस्टम खराब नहीं होना चाहिये |” सिंगापुर के प्रधान ने कहा |

न्यायालय न्याय की जगह नहीं है !

- ◆ न्याय के समय, स्थान, समय और पात्र सभी बदल जाते हैं।
- ◆ परिपेक्ष्य, भावनाएं परिवेश बदल जाता है।
- ◆ एक तरफ बहुत सारी मान्यताएं हैं; दूसरी तरफ मान्यताएं सुबूत नहीं हैं। सुबूत आवश्यक है।
- ◆ यथा सम्भव सुबूत नहीं रहने देने का प्रयास होता है।
- ◆ सुबूत बनाए जाते हैं। गवाह भी ! आखों से देखने वाले भी बदल जाते हैं – Hostile करार देने पर अपराधी को तो फायदा ही होता है।
- ◆ विज्ञान के इस बदलते युग में न्यायाधीश सभी चीजों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते।
- ◆ न्यायाधीश अपनी व्यक्तिगत मानसिकता, मान्यताओं, विचारों, अनुभवों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन ही हैं- जज नहीं!

Contd.

- ◆ न्याय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खासकर 'वकील' न्याय की मदद करने की जगह खुद का करोड़ों रुपया बनाते हैं- न्याय में कानून/न्याय की जगह बुद्धि, कुशलता और अपनी विभिन्न प्रकार की तिकड़मी, काबिलियत का धौंस जमाकर न्याय का विचलन, बेचना सुनिश्चित करते हैं।
- ◆ जाँच अधिकारी भी अक्सर टांग अड़ाते है, विभिन्न कारणों से असहयोग गड़बड़ी करते हैं | परिश्रम से भागना भी ह्यूमन है।
- ◆ अवधारणायें भी सही नहीं है।
- ◆ लक्ष्य Deterrent की जगह संभव नहीं होने वाला सुधारात्मक है।



न्यायालय न्याय की जगह नहीं है !

- ◆ राष्ट्रपति, गवर्नर विधान/संसद मण्डल के बिल को नहीं बदल सकते है - सही है; रोक भी नहीं सकते तो क्या - ये सर्वोच्च संवैधानिक पद अपमान जनक, अपनी जमीर के विरुद्ध खुद पर ही अनचाहे ठप्पे लगाने के लिए हैं? इनकी जरूरत क्या है ?
- ◆ व्यवहारिक रूप से अक्सर:-
- ◆ विधान मण्डल का निर्णय, न जन निर्णय होता है, न बहुमत पार्टी का निर्णय होता है, प्रतिनिधियों का भी नहीं | पार्टी अलोकतांत्रिक व्हीप जारी करता है; पार्टी में आलाकमान होता है, उसे अपनी ही चिंता होती है, पार्टी, देश हित से ज्यादा पार्टी हित सोचती है |
- ◆ अगला चुनाव जीतना, शाश्वत प्राथमिकता है | टैक्स के पैसे से मुफ्तखोरी कराकर वोट खरीदना चाहते हैं |
- ◆ ऐसे ही अनेक 'गलत' कार्य होते हैं |
- ◆ इन्हीं अनुभूत कारणों से एक व्यवस्था, पुनरीक्षण के लिए राज्यपाल/राष्ट्रपति के रूप में है |

- ◆ यदि सामान्य जन के अभिव्यक्ति की बात है तो व्यवस्थापिका की व्यवस्था के ऊपर न्यायालय का स्थान नहीं हो सकता क्योंकि जनता की अभिव्यक्ति सिर्फ व्यवस्थापिका है।
- ◆ परन्तु न्यायपालिका है, मजबूत है, होना ही चाहिये इसी कारण से राज्यपाल और राष्ट्रपति भी हैं अन्यथा तानाशाह उत्पन्न होने में कोई देर नहीं है।
- ◆ संविधान का निर्माण न न्यायपालिका ने किया है, न माननीय जजों ने।
- ◆ इसमें परिवर्तन भी संसद ही करता रहा है, कर सकता है।
- ◆ अतः इसका पुनरीक्षण भी तत्कालीन चयनित संसद ही कर सकता है और उसके द्वारा चयनित गवर्नर एवं राष्ट्रपति के कर्तव्य/अधिकार भी संविधान-सम्मत होना चाहिए।
- ◆ लोकतंत्र के तीनों अंगों की स्वायत्तता या स्वतंत्रता कोई एक अंग नहीं छीन सकता !

न्यायपालिका

- ◆ न्यायपालिका समाज की समस्याओं का फलतः स्वभाविक एवं स्वनिर्मित संस्था है।
- ◆ अतः इसकी मान्यता, मर्यादा आवश्यक है। न्यायपालिका को भी यह सम्मान अर्जित करना पड़ेगा, न कि इसे अधिकार बनाकर आदेश पारित करना चाहिये।
- ◆ कुछ विसंगतियों हैं; जिसका समयनुसार निदान/सुधार आवश्यक है। जैसे -
- ◆ कानून का deterrent नहीं होना।
- ◆ गलत संदर्भहीन (obsolete) हो गए, विपरीत असरवाले कानून को टागें रहना,
- ◆ विवेक की जगह अधकचरे, सबूत (व्यक्ति के बयान इत्यादि) पर ज्यादा जोर देकर निर्णय देना।

निर्णय व्यक्ति का या ज्यूरी का ?

- ◆ ज्यूरी की जगह व्यक्तिवादी हो जाना | विशेषज्ञों की ज्यूरी आवश्यक है।
- ◆ सबसे बड़ा कारक, सबसे बड़ा दोष समस्या का निदान अस्थायी, आधा अधुरा, अस्पष्ट, दो मायने वाला आदेश पारित करना है।
- ◆ कोई तो एक पक्ष दोषी होगा !
- ◆ स्पष्टतः गलत अभियोजन पर कोई करवाई नहीं करना केसों के भरमार होने का बड़ा कारक है।
- ◆ मेरे ख्याल से दोष सिद्ध नहीं होना एक बात है | परन्तु स्पष्टतः गलत मुकदमा करने पर उस स्वयं सिद्ध दोषी पक्ष को दंडित किया जाना चाहिए | जो दण्ड दूसरे पक्ष को हार जाने पर मिलता वही उसे मिलना चाहिये चाहे 498A हो, copra हो, या और कुछ आरोपी यदि ससम्मान मुक्त होता है तो तुरंत उस पक्ष को यह मौका मिलाना चाहिए की प्रथम पक्ष पर भी मुकदमा चलायें या स्वतः मुकदमा चलाना चाहिए | ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना आवश्यक है।

असह्य है!

- ◆ न्यायपालिका के तरीके हों, राजनैतिक दलों का गैंग हो, देश बर्बाद हो या आदमी तबाह हो, सदन/ विधान सभा सिर्फ हंगामें की जगह हो, कार्यपालिका का भ्रष्टाचार हो, मिडिया की पीत-पत्रकारिता का व्यवसायिकरण हो।
- ◆ मैं कमजोर हूँ – अतः सहना पड़ता है।
- ◆ 'हम सब' भी कमजोर है क्योंकि सामूहिक सोच का निर्माण नहीं करते हैं।
- ◆ गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते, शायद मंशा भी नहीं रखते।
- ◆ दिन को दिन होने का प्रमाण नहीं चाहिए, परन्तु न्यायालय में तो चाहिये!
- ◆ जज होना एक संयोग है जैसे डॉक्टर या इंजिनियर होना, कोई ईश्वरीय योग्यता नहीं।
- ◆ न्यायालय में सभी बराबर हैं – न्यायाधीश के अलावे, सामर्थ्यवानों के अलावे।
- ◆ क्योंकि लोकतंत्र (सम्भव ही नहीं) है।

Contd.

- ◆ इसमें हर्ज भी क्या है | राजा का बेटा राजा, नेता का बेटा नेता, लुहार का बेटा लुहार, परन्तु I A S डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक का बेटा शून्य से शुरू करे क्योंकि इनमें गुलामी के कुछ गुण चाहिए जो पैदा करना पड़ेगा |
- ◆ हम अपनी जाँच खुद करेंगे प्रोफेसनल भी, सामान्य भी, तुम कुछ भी हो, ISRO का अध्यक्ष, वैज्ञानिक, चिकित्सक अभियंता, नेता, तुम्हारा निर्णय 'हम' करेंगे |
- ◆ 'हम' सही को भी गलत कहेंगे, प्रमाणिक होगा, वैधानिक होगा, मान्य होना है, तुम गलत को गलत नहीं कह सकते |
- ◆ कह कर भी क्या कर लोगे | चुप रहो, 'बोलने की आजादी' मेरे खिलाफ लागू नहीं होता, अवमानना होती है क्योंकि मैं आदरणीय हूँ, राजा की तरह, चर्च की तरह, उच्च वर्ग की तरह, कानून मैंने जो बनाया है तुम्हारे लिए |
- ◆ तुम अब भी आदमी से कुछ कम हो |
- ◆ कोई उपाय नहीं है |
- ◆ Survival of the fittest ईश्वरीय है

न्याय - विचित्र ?

1. बदलापुर में 4 वर्ष की दो बच्चियों के साथ यौन व्यभिचार; दोषी पुलिस, |
2. एनकाउटर(?) में मृत/ 5 पुलिस वाले दोषी करार ? - गिरफ्तार (?)

उन बच्चियों के साथ न्याय? (सामाजिक/कानूनी संदेश?) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से रोक ? मानवाधिकार?

3. अपने पति को नशेड़ी प्रेमी के साथ टुकड़ों में काट सीमेंट के साथ ड्रम में भर दिया |

◆ वह गर्भवती हो गयी अपने नशेड़ी प्रेमी से अभी गर्भधान शायद 20 सप्ताह से कम |

◆ हत्यारी पत्नी को 'गर्भवती' के लिए सभी सुविधाएँ देय। लोक कल्याणकारी राज्य !

◆ मृत पति का न्यायालयीय अधिकार ?

◆ समाज को, न्यायालय का सन्देश, सामाजिक रूप से अनुकरणीय उदाहरण ? ऐसी घटनाओं/प्रवृत्ति की रोकथाम या बढ़ावा ?

प्रभाव – आज (08.04.2025) भी एक पत्नी के प्रेमी के साथ पति की गला दबाकर हत्या का समाचार !

न्यायालय : संसद

- ◆ दलगत राजनीति के कारण दलों की गैंगस्टर प्रवृत्ति पर, जो क्षेत्रीय क्षत्रपों के बीच देश को विखण्डित करने, बोट बैंक के लिए विभिन्न मुद्दों (भाषा, धर्म) पर विभिन्न समूहों के बीच भयानक नरसंहार, अराजकता फैलाने से बाज नहीं आते, उसपर एक ब्रेक के रूप में राज्यपाल/राष्ट्रपति के पद की महत्ता संविधान में निर्धारित की गयी है।
- ◆ यदि ये संवैधानिक लोग देशहित/ लोकहित नहीं सोच सकते तो सिर्फ न्यायाधीश ही कैसे सही सोच सकते है ?
- ◆ सबके लिये सीमाओं की मर्यादा है।
- ◆ सामान्य बुद्धि से, लोकतंत्र के संवैधानिक प्रधान पर किसी व्यक्ति/संस्था को उसके लिये निर्देश जारी करना सरासर सीमोलंघन है।
- ◆ 'नियोक्ता' पर 'नियुक्त' का चढ़ बैठने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। बहुत वृहतर बहस के बाद पुनः यह संसद द्वारा (आम सहमति द्वारा) ही निर्धारित किया जा सकता है। एक referendum (आज के वैज्ञानिक युग) में संभव भी है। प्रश्नावली द्वारा

न्यायालय और संसद

- ◆ यह तो स्पष्ट है कि कानून के लिए हमने संसद का निर्माण किया है, संविधान को अंगिकार कर किया है। किसी दूसरी संस्था या व्यक्ति को नहीं।
- ◆ जन सामान्य ने अपने ऊपर शासन के लिए न्यायाधीशों को तो हर्गिज नहीं चुना है। उनका एक मात्र कार्य सरकार और हमारे या अन्य विसंगतियों पर संवैधानिक विवेचना/निर्णय करना मात्र है।
- ◆ राष्ट्रपति वैसी भी संवैधानिक प्रमुख मात्र हैं राष्ट्र के प्रथम (कार्यपालक तो प्रधानमंत्री है) – वैसी स्थिति में राष्ट्रपति पर हुक्म न्यायपालिका का अहंकार है।
- ◆ लोक ने, जनता जनार्दन ने संसद को चुना है।
- ◆ न्यायालय की मर्यादा न्याय, न्यायालय, न्यायाधीश को ही अक्षुण्ण रखने में है। 5 कड़ोड़ रूपए मिलने पर भी FIR दर्ज नहीं होकर पुनः कार्यरत, करना मार्यादित नहीं हो सकता है ऐसे अनेकों बारदातें है - जो लोगों से छुपे नहीं है।

Contd.

- ◆ आंतरिक मार्यादा का पालन कठिन है | हमारे एक IAS मित्र ने बहुत पहले मुझे यह सूझ भरी बात कही थी कि किसी भी सेवा में लोग एक ही सामाज से जाते हैं, अतः सभी सेवाओं में मनुष्य की कमजोरियों भी सामान रूप से ही होने की सम्भावना है | अतः कानून भी समान रूप से लागु होने पर ही लोकतंत्र है |
- ◆ फिर सांसदों पर भी ऐसा कानून/निर्देश लागू होना चाहिये |
- ◆ मेरे एक मित्र ने बहुत सीधा सवाल किया है, जिसमें सभी सवालों का जबाब निहित है, यदि राज्यपाल, राष्ट्रपति (अन्य कार्यपालिका के लोगों की तो बात ही नहीं है) के कार्य सम्पादन की सीमा निर्धारित की जा सकती है तो न्यायालयों में कार्य सम्पादन की समय सीमा क्यों नहीं? न्याय, कानून व्यवस्था सम्बंधि अधिकांश समस्यायें दूर जायेगी |

असफलतायें –

- ◆ Justice delayed – justice denied – पुर्णतः सत्य है।
- ◆ Equality before justice – यह नारा या आदर्श हर रोज हास्यास्पद सिद्ध होता रहता है।
- ◆ भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कहा जा सकता है।
- ◆ हर स्तर पर भ्रष्टाचार सार्वजनिक संज्ञान में है।
- ◆ जस्टिस वर्मा या अन्य अनेकानेक उदाहरण है । सार्वजनिक मनोबल गिराने वाला है।
- ◆ Self correction – आंतरिक विवेचना/सुधार बिल्कुल सम्भव नहीं हुआ है।
- ◆ Collegium system से प्रशासनिक/संसदीय व्यवस्था से न्यायालय मुक्त रहता है परन्तु इसमें इतने दोष है जो कालान्तर में परिलक्षित हुए है कि collegium system न सिर्फ अलोकतांत्रिक है बल्कि सभी पक्ष, न्यायालय और उससे प्रभावित सबों के लिए अस्वीकार्य लगता है।

- ◆ अधिकांश दोषी छूट जाने पर निर्दोष को सजा नहीं हो | न सिर्फ यह कानून की प्राकृतिक deterrent कर्तव्य को सैद्धांतिक रूप से गलत सिद्ध करता है बल्कि व्यवहार में अधिकांश सामजिक दुरवस्था का कारण है।
- ◆ कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण अन्यान्य आतंकी वकीलों के आतंक से निष्प्राण जैसा हो जाता है।
- ◆ जजों को सेवा निवृत्ति के बाद अकल्पनीय सुविधाओं के बाद भी किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा (tribunal, enquiry committee इत्यादि में जाना सरासर गलत है।

Victim के प्रति न्याय की जगह सिर्फ survivor या precipitator की मदद करता है।

आपकी आलोचना, असहमति, सुझाव का
स्वागत है ।

सम्पर्क

अतुल कुमार

मो०-9905252725

H/3, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग

पटना-800 020

प्रणव कुमार चौधरी

मो० - 8969481918



डा० अविनाश प्रसाद

मो० - 9934410252

जितना बन पड़ा है शुद्धी का ध्यान रखा है।
इसे पढ़ने वाले / समझने वाले
गलतियों को स्वयं ठीक कर लेने की कृपा करें।

✧ विनीत एवं क्षमाप्रार्थी
डा० विश्वेन्द्र कुमार सिन्हा

Blank Page



आमंत्रण

आत्मन्

आप जहाँ भी हैं, जो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, करते चलें, अन्य लोगों को भी अपनी सृजनात्मक उर्जा से उत्प्रेरित करते चलें, 'तलाश' तो आपके मन-प्राण में है।

वृहत एवं त्वरित बदलाव के लिए आपका हमारा जुड़ना आवश्यक है।

मिलें तो सही।

बातें तो हों,

हर माह के प्रथम रविवार की बैठक में शामिल हों,

– 'तलाश' परिवार

सम्पर्क :

फोन नं०

श्री शिव कुमार

9135020199

श्री प्रणव कुमार चौधरी

8969481918

डॉ० अविनाश प्रसाद

9934410252

श्री अजित कुमार सिन्हा

9334310425

त्रिगे० के० एम० पी० सिंह

9801043097

डॉ० विश्वेन्द्र कुमार सिन्हा

9931025029

स्थान : एच-3, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकड़बाग पटना - 20

“तलाश के लक्ष्य एवं उद्देश्य”

1. एक अराजनैतिक, अहिंसात्मक, वैचारिक अभियान है।
2. आमलोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु सामाजिक जीवन के सभी आयामों के कार्य-कलापों में सुधार लाने का कार्य करेगा।
3. प्रत्येक नगरिक में ‘सच को सच’ एवं ‘गलत को गलत’ कहने की शक्ति पैदा करेगा।
4. प्रत्येक नागरिक को वाजिब तरीके से प्रतिदिन अपनी आय में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
5. रचनात्मक सामूहिक सोच का निर्माण करने को कृत संकल्प है।
6. संबंधित सक्षम अधिकारियों/व्यक्तियों को सही दिशा में कार्य करने हेतु प्रेरित करेगा।
7. किसी प्रकार की सीधी सेवा नहीं प्रदान करेगा।
8. पूरे भारत में आम व्यक्ति को पहरे की तरह जागरूक करने का काम करेगा। यह किसी भी क्षेत्र/ प्रकार की गलती दिखने पर उसे अहिंसात्मक ढंग से ठीक करेगा।
9. सदस्य बनने हेतु कोई शुल्क नहीं होगा एवं सदस्य अवैतनिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।
10. इसका अपना कोई निधि/कोष नहीं होगा। संस्था के छोटे-मोटे खर्च सदस्यगण मिलकर वहन करेंगे।
11. इसका अन्य गैर सरकारी संगठन की तरह निबंधन नहीं होगा एवं इसमें कोई अध्यक्ष, सचिव अथवा कार्यकारिणी नहीं होगा।



कोष, कुर्सी, कौन! तीनों गौण!!

